

UGC APPROVED

ISSN - 2322-0171

Peer Reviewed Referred & Indexed
International Research Journal of Education
Quarterly Bilingual

A Free Lance

Patron :

Narendra Prakash Jain (International Scholar)
Dr. Anupam Jain (Registrar Ahilya Bai University Indore (M.P.))

Advisory Board :

Prof. Vivek Kumar, JNU, New Delhi
Dr. Pooranmal Yadav, Mohan Lal Sukhatia University, Udaipur (Raj.)
Preeti Kumari, NCERT, New Delhi
Dr. Niti Jain, IGNTU, Amarkantak (M.P.)

Editorial Review Board :

Dr. D Sundram, Madras University, Madras (Tamilnadu)
Dr. Tinku DE (Gope), Tripura University, Tripura
Dr. Ravindra Garda, Orissa
Dr. Anita Das, Assam
Dr. Venu Madan, Govt. College, Gurgaon (H.R.)
Dr. Mradula Singh, D.S. College, Aligarh (U.P.)

Editor-in-Chief

Dr. Amit Jain

(M.Com, Ph.D., MAT, MASW)

Amit International Impact Factor Journals (Regd.) MSME

An official publication of
Amit Educational and Social Welfare Society (Regd.)
Firozabad (U.P.) Regd. No. UP 1779/2004-05

Issue - 18
Vol.-18 (July-Sept., 2017)

Call for Membership : **09837208441**

Statement about Ownership and other Particulars

Head Office	:	Amit Bal Bhawan, Gandhi Park Firozabad (U.P.) India.
Place of publication	:	439, Indra Colony Street No. 4, Repura Road, Firozabad (U.P.) India.
Periodicity of publication	:	Quarterly
Language	:	Bilingual, English-Hindi
Discipline	:	Social Science
Name of publisher	:	Amit Educational & Social Welfare Society.
Name of Editor	:	Dr. Amit Jain
Name of Printer	:	Madhuri Ofset, Firozabad
© All rights reserved	:	Owner

Note : इस शोध पत्रिका में छापी गयी किसी भी सामग्री के लिए सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

Address for Correspondence

Dr. Amit Jain
439, Indra Colony,
Street No. 4, Repura Road,
Kotla Chungi, Firozabad 283203 (U.P.) India
Mobile No. 09837208441, 09719717951
Mail : dr.amit0190@gmail.com
secretary.aesws@gmail.com
Visit : www.amitdeliberativeresearch.com
www.icrjifr.org.in

सम्पादकीय

ज्ञान के अनुपात को विवेक कहते हैं।

प्रिय शोधकर्ता,

स्वच्छता अभियान भारत की जरूरत है अतः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी की जयंती पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान या 'क्लीन इंडिया कैंपेन' देश का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। प्रधानमंत्री ने हर भारतीय से इस मिशन में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। विश्व बैंक ने 1,500,000,000 डॉलर का ऋण भारत स्वच्छता अभियान के लिए मंजूर किया है, इसके लिए 30 मार्च 2016 को भारत सरकार और विश्व बैंक ने एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये। यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि देश में लोगों का खुले में शौच करना एक बड़ी समस्या है। भारत में 72 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण लोग शौच के लिए झाड़ियों के पीछे, खेतों में या सड़क के किनारे जाते हैं। इससे अन्य कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बच्चों की असमय मौत, संक्रमण और बीमारियों का फैलना और सबसे अहम सुनसान स्थान पर शौच के लिए गई युवतियों का बलात्कार। भारत की आबादी 1.2 बिलियन है और उसमें से करीब 600 मिलियन लोग या 55 प्रतिशत के पास शौचालय नहीं है। उन ग्रामीण इलाकों में जहां शौचालय है वहां भी पानी की उपलब्धता नहीं है। शहरों में झुग्गी में रहने वालों के पास ना तो पानी की आपूर्ति है ना शौचालय की सुविधा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी और खुले में शौच की इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखकर यूपीए सरकार ने सन् 1999 में निर्मल भारत अभियान शुरू किया था। इस अभियान में सन् 2012 तक सार्वभौमिक घरेलू स्वच्छता का लक्ष्य स्थापित किया गया। यह सन् 1991 में शुरू किए गए टोटल सेनिटेशन कैंपेन का अभिन्न हिस्सा था। हालांकि निर्मल भारत अभियान अपने लक्ष्य को हासिल ना कर सका। निर्मल भारत अभियान को वर्तमान सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान में बदलकर पेश किया है। इसका लक्ष्य भारत में खुले में शौच की समस्या को रोकना, हर घर में शौचालयों का निर्माण करना, पानी की आपूर्ति करना और ठोस और तरल कचरे का उचित तरीके से खात्मा करना है। इस अभियान में सड़कों और फुटपाथों की सफाई, अनाधिकृत क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना शामिल हैं। इस सबके अलावा इस अभियान में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करना भी शामिल है। भारत सरकार ने राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और सक्रिय लोगों की भागीदारी से स्वच्छ भारत अभियान को सन् 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। महात्मा गांधी ने हमेशा स्वच्छता पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। वह भारत को स्वच्छ भारत के तौर पर देखना चाहते थे। वह ग्रामीण लोगों की दयनीय हालत से पूरी तरह वाकिफ थे। भारत की आजादी को 67 साल हो गए पर अब भी देश की आधी से ज्यादा आबादी के पास उचित शौचालय नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार महात्मा गांधी के इस सपने को पूरा करना चाहती है और देश को सन् 2019 तक साफ करना चाहती है। सन् 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है।

प्रधान सम्पादक
डॉ. अमित जैन

UGC Journal Details

Name of the Journal : A FREE LANCE

ISSN Number : 23220171

e-ISSN Number :

Source : UNIV

Subject : Education; Social Science (All)

Publisher : Amit International Impact Factor Journals

Country of Publication : India

Broad Subject Category : Social Science

A Free Lance
(International Research Journal of Education
Quarterly Bilingual)

INDEX

S.No.	Research Papers	Pages
1-	Anxiety Of Adolescents In Relation To Their Academic Achievement Dr.Subhash Sarkar, Mr.Goutam Das	1-9
2-	डी.एड. एवं बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन (जिला ग्वालियर के सन्दर्भ में) डॉ. दीपक शुक्ला	10-13
3-	Disabled Children: Legal Provisions Dr. Rajeev Verma	14-21
4-	A Study Of Impact of Education On Health Progress In India Anita Pruthi, Navneet K. Pruthi	22-25
5-	डोकलाम का स्त्रातजिक महत्व डा. अतुल चन्द	26-29
6-	बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में गुरु का महत्त्व डॉ० योगेन्द्र बाबू, डॉ० सुशील कुमार सिंह गौतम	30-35
7-	भारतीय पुनर्जागरण में पत्रकारिता विनय मोहन	36-39
8-	श्लेश अलंकार व काव्य में इसकी महत्ता Dr. Poonam	40-43
9-	शिक्षा में जनसंचार प्रणाली की आवश्यकता Dr. Bhed Pal Gangwar, Dr. Savita	44-47
10-	प्रकृतिवादी शिक्षा की विभिन्न विचारधाराएँ Dr. Sanjeev Kumar	48-52
11-	सन्त काव्यों में शिक्षा एवं सद्भावना—एक अध्ययन Mohd. Waqar Raza	53-58
12-	रचनात्मक डिजाइन के प्रति आकर्षण—एक अध्ययन Chhaya Gangwar, Chhavi Gangwar	59-62

Anxiety Of Adolescents In Relation To Their Academic Achievement

Dr.Subhash Sarkar

Assistant Professor (Stage III & Former Head (I/C), Department of Education,
Tripura University,(A Central University), AGARTALA, Tripura, India

&

Mr.Goutam Das

Academic Counsellor in Education, Maharaja Bir Bikram College,
Study Centre, under Directorate of Distance Education, Tripura University

ABSTRACT

This study examined the Anxiety of adolescents in relation to their academic achievement. For this purpose 400 adolescents (171 male & 229 female students)including 245 rural and 155 urban adolescents between the ages of 15 to 18 years have taken as sample in the study. An Anxiety scale, developed by Dr. S. Sarkar for adolescent was used to find out the anxiety among adolescents. Students result is considered as the academic achievement. To analyze and interpret the data, mean, S.D, t-test, Pp, and Pearson product correlation coefficient were used. The findings revealed that significant difference was found between male and female adolescents in relation to their anxiety. While no significant difference was found between male and female adolescents in relation to their academic achievement. A Significant difference was also found between urban and rural adolescents in relation to their anxiety. While no significant difference was found between urban and rural adolescents in relation to their academic achievements. Findings also shows that significant differences between academic achievement of the students having optimum and non-optimum level of anxiety. While no significant difference in academic achievement of the students having optimum and non-optimum level of anxiety. A negative correlation was found between anxiety and academic achievement of adolescents.

Keywords: Anxiety, academic achievement, adolescents.

Introduction

The new born infant is helpless human being and successively education gives a new and refined life to human beings. It develops the thinking and reasoning power. Our education produces good and responsible citizens who contribute to the growth of the country. In all the stages of education, right from nursery to university education, the senior secondary stage of education is the most important stage because it is the stage which provides the sound foundation for future education. But a good number of problems are seen among the adolescent at this stage which interrupt the future progress of the students and eventually it leads lacking to the nation growth. These problems are not only economic or family problems but what seen at this period is that the psychological disorder and these are common around the globe, in all countries and all societies. The manifestation of anxiety also not exceptional from disorder but anxiety itself is normal and even useful. It can prepare us for upcoming events and motivates us to learn new ways of coping with life's challenges.

Those suffering from anxiety feel anxious, tense, and apprehensive. They are often depressed and irritable because they cannot see their solution in their anxiety. Constant worry can make falling asleep and staying asleep difficult, attention span and concentration can be impaired. By continually arousing the autonomic nervous system, chronic anxiety also cause bodily symptoms such as sweating, dry mouth, rapid pulse, shallow breathing, increased

blood pressure, and increased muscular tension. Chronic arousal can also result in hypertension, headaches, and intestinal problems and can even cause illness or tissue damage. Because of their high levels of autonomic arousal, people who suffer from anxiety also exhibited restless and pointless motor behaviours. Exaggerated startle response is typical, and behaviours such as toe tapping and excessive fidgeting are common. Problem solving and judgment may suffer as well. Research has shown that chronic stress can produce atrophy in the hippocampus, a brain structure involved in learning and memory (McEwen, 2008). Because chronic stress can damage the body, including the brain, it is very important to identify and effectively treat that involve chronic anxiety. Different anxiety shares some emotional, cognitive, somatic and motor symptoms, even though the behavioural manifestations of these are quite different (Barlow, 2002).

Anxiety is a general term for several disorders that causes nervousness, fear, apprehension and worrying. It is an emotion characterized by an unpleasant state of inner turmoil, often accompanied by nervous behaviour, such as pacing back and forth somatic complaints, and rumination. There is not a single person who does not have anxiety in any situation of life. It is an intrinsic part of human nature. But at the same time we have to keep in mind that severe anxiety can lead to some genuine problem. It is a psychological and physical response to treat a self-concept characterized by subjective, consciously perceived of tension (Spiel Berger, 1983). Anxious students have experience of cognitive deficits like misapprehension of information or blocking of memory and recall. Spiel Berger reported two forms of anxiety: state anxiety- a response to a particular stimulation or set of circumstances, and trait anxiety- an intrinsic characteristic of the person. Previous anxiety research suggests that there are roughly two types that can be experienced at different psychological level (Spiel Berger, 1966). Hancock concludes that students with high level anxiety show significantly less motivation in classrooms perceived as highly evaluative compared to students with low level anxiety (Hancock, 2001).

Anxiety may be understood as feelings of apprehension and nervousness accompanied by the activation of the sympathetic nervous system which gives rise to physiological changes to the body such as heart rate increases, blood pressure increases, perspiration increases, sweating and trembling (Crooks and Stein, 1988). The Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorder, 1994, defined anxiety as a discrete period in which there is sudden outset of intense apprehension, fearfulness or terror, palpitation, sweating, trembling or shaking, feeling of choking, chest pain, nausea derealization or depersonalization. Borkoveak, Weert and Berstein 1980 describe anxiety as a complex construct characterized by diffuse feelings of apprehension, tension and increased automatic activity in response to internal or external stimuli which are subjectively perceived to be threatening.

Anxiety has been defined as a type of performance anxiety-a feeling someone might have towards an impending testing situation in which performance is crucial to the person (Anderson, 2002). A person can also experience performance anxiety in a situation when he or she is to try out for the school play, sing a solo on stage, present a research proposal before a panel or attend a job interview. Each of these situations engenders condition of tension and panic. Morris and Davis in 1981, defined anxiety as the evaluative apprehension aroused in the tested as a result of his concerns about the outcome of an impending test. The impending test increases the level of apprehension as the outcome of the evaluative increases is importance. Due to this high regard given to students with high academic achievements, fear of failure constantly put anxiety on students during examinations and testing. The negative thoughts about the outcome of the examination (pass or fail) and what the parents and friends will comment if they fail such tests and examinations are a times results to fear, trembling during the examinations, illegible writing, heat on the parts of the body and all sorts of somatic experiences are noticed during testing and examination periods.

Anxiety itself is normal and even useful. It can prepare us for upcoming events and motivate us to learn new way of coping with life challenges. Being anxious about tests reminds us to keep up with our homework and study likewise, being slightly anxious when meeting new people helps us avoid doing bizarre things and making bad impressions. For some people, however, anxiety can become debilitating and can interfere with every aspect of life. Anxiety is characterized by excessive anxiety in the absence of true danger. It is normal to be anxious in stressful or threatening situations. It is abnormal to feel strong chronic anxiety without cause (Kessler & Wang, 2008).

Significance of the study

Nowadays adolescents have high anxiety which can have any serious and long lasting consequences on the physical and mental health of children. Parents and teachers in collaboration with school guidance workers should work together for the better development of adolescent. Timely encouragement and motivation is very important and should be efficiently used by both teacher and parents. One of the most important aspects of education is the assessment of learning outcomes among students. Assessment is expected to provide accurate and reliable evidence of what students have learned or that have not learned. In the school environment, it is the case that each time an assessment test is scheduled for students, majority of them exhibit anxiety reaction to school proposed test. In the context of such an environment therefore, it is important to build up information on the nature and scope of assessment induced anxiety so as to build up a body of knowledge on students' anxiety towards assessment and the impact it has on their academic achievement. This therefore, is considered theoretically significant because its findings will add to existing already body of knowledge on the whole issue for the relationship between anxiety levels and academic achievement in adolescent school students.

Numerous differences have been found between males and females in their anxiety, academic achievement and locality it is a fact that a nations progress depends upon its students' academic achievements of the students are badly affected due to increase in anxiety in the society. There is no denying to the fact that anxiety has increased in the society it not only affects education but also student's personalities which linger throughout their lives. This study is considered to be of practical significance in the sense that its findings will provide bases for solving problems of anxiety among adolescent school students. For instance, the findings of this study will yield useful data which can be used to draw the attention of the negative consequences of uncontrolled anxiety among adolescent students. This study is considered to be of practical significance with regard to the teachers in the sense that the findings will form the bases for teachers of mathematics and English language awareness and preparedness to help their anxious students overcome anxiety behaviours. The current study surely helps to discover the new dimensions relation to the anxiety factor and students academic achievement. So in betterment of student's psychology, teaching learning environment, the study will be beneficial. Moreover it will also focus on the different forms and levels of anxiety and how to result the bad impact of anxiety on student's career. This shall be guideline for the teachers to help their students.

Objectives of the study

1. To estimate the level of anxiety of the students of adolescence period in west Tripura.
2. To study the nature of anxiety among the students.
3. To estimate the nature of academic achievements of the adolescence students.
4. To find out the relationship between anxiety and academic achievement of the students.
5. To compare the levels of anxiety between adolescent boys and girls.
6. To compare the anxiety of rural and urban adolescents.

7- To find out the optimum level of anxiety of the adolescence age with reference to their academic achievement.

Hypothesis of the study

H01: There is no relationship between anxiety and academic achievement of the adolescents.

H02: There is no significant difference between adolescents’ boys and girls in relation to their anxiety.

H03: There is no significant difference in anxiety of rural and urban adolescents.

H04: There is no significant difference in academic achievement of the students having optimum and non-optimum level of anxiety.

Methodology

The present study has been completed by using descriptive survey method for collecting relevant data. All the adolescent school students of west Tripura districts of Tripura were undertaken as the population of the study.

Sample and sampling techniques

In this study, 400 adolescent school students in which includes 171 boys and 229girls are selected as the sample from seven schools of west districts in Tripura.Simple random sampling methods were adopted for selecting suitable sample.

Tool used

In the present study the researcher used An Anxiety Scale developed by Dr. S. Sarkarto collect relevant data.

Result and Discussion

As per the objectives of the study statistical analysis was done and hypotheses were tested. Findings are presented below according to sequence of the objectives.


The data collected on the basis of anxiety and academic achievement of adolescent students and scores are systematically analyzed with help of suitable statistical techniques in order to find out the answers to the questions raised in this present study.

Table 1

Showing the level of Anxiety of the students of adolescence period in west Tripura

SL. No.	Range	N	Level of Anxiety	Percentage
1	Above 143	10	Very High	2.5%
2	124-143	70	High	17.5%
3	87-142	251	Moderate	62.75%
4	68-86	62	Low	15.5%
5	Below 68	7	Very Low	1.75%
Total		400		100%


Figure 1



Data from the table no. 1 are graphically presented here above the figure and showing the number of students having with the level of anxiety at a glance and it is clarifying that maximum number of students have moderate anxiety level and very few students have very high and very low level of anxiety.

Figure 2

Showing the dimension wise percentage of anxiety among the students



It is clear from the figure 2 that 15.57% scores lies on the worry related anxiety, 17.28% score was obtained by the students for general anxiety related anxiety, 16.91% scores was obtained by the students for low self confidence, 17.75% score was obtained by the students for over thinking, 17.19% scores was obtained by the students for panic attacks, 15.30% scores was obtained by the students for depression related anxiety respectively. It indicates that over thinking related anxiety is very appreciated by the students and depression was very much neglected by the students.

Table 3


Showing the level of academic achievement of the adolescence students

Sl. No	Percentile Range	N	Level	Percentage
1	Above P ₉₀	40	Very High	10%
2	P ₉₀ -P ₇₆	61	High	15.25%
3	P ₇₅ -P ₂₅	199	Average	49.75%
4	P ₂₄ -P ₁₀	59	Low	14.75%
5	Below P ₁₀	41	Very Low	10.25%
Total		400		100

Table 4 has shown the number of students according to the level of their academic achievement. It was apparent that among 400 students, 40 students were very high achiever, 61 students have obtained the marks falling under the high level, 199 were average achiever, 59 were low achiever, 41 students found very low achiever.

Figure 3

Showing the percentage of the students according to their level of academic achievements



The percentages of the school students according to their level of academic achievement are presented graphically in the above pie chart for understanding clearly. It is evident from above chart that the highest percentages (49.75%) of the students are average level of achiever and 10% students are very high and 10.25% students are very low achiever. Hence it may be interpreted from the results mentioned above that maximum numbers of students are of average in nature.

Table 5

Showing the relationship between anxiety and academic achievement of the adolescents

Variables	No. of students	Mean	SD	r	tr	Level of significant
Anxiety	400	105.78	18.69	-0.11	(-)2.21	0.05
Academic Achievement	400	55.29	18.07			

Table 5 show that the values of t indicate that the result is significant at 0.05 levels but negative. The result leads to infer that there is a significant and inverse relationship between Anxiety and Academic achievement of adolescent students. That can when anxiety increases achievement of students decreases.

Table 6

Showing the differences, if any, between adolescents’ boys and girls in relation to their anxiety

SL No.	Category	N	Mean	SD	D	df	‘t’ value
1	Boys	171	102.304	18.694	6.07	398	3.32*
2	Girls	229	108.375	17.362			

*Significant at **0.01** level

Table 6 shows that the critical value of *t* with degrees of freedom at 0.05% level of significance is 1.97. Our computed value of *t* i.e. is quite larger than the table value of 1.97 and hence it is significant. Therefore null hypothesis i.e. “There is nosignificant difference between boys and girls adolescents in relation to their anxiety” and a result our null hypothesis is rejected. So it can safely be concluded that there is significant differences between boy’s and girl’s adolescences in relation to their anxiety.

Table 7

Showing differences, if any in anxiety of rural and urban adolescents

SL No.	Category	N	Mean	SD	D	df	‘t’ value
1	Rural	245	109.175	18.868	9.066	398	4.649*
2	Urban	155	100.109	19.066			

*significant at **0.01** level

Table 7 indicate that the critical value of *t* with degrees of freedom at 0.05% level of significance is 1.97. Our computed value of *t* i.e. is quite larger than the table value of 1.97 and hence it is significant. Therefore null hypothesis i.e. “There is no significant difference between anxiety of rural and urban adolescents” and a result our null hypothesis is rejected. So it can safely be concluded that there is significant differences between anxiety of rural and urban adolescents.

Table 8

Showing differences, if any in academic achievement of the students having optimum and non-optimum level of anxiety

SL No.	Category	N	Mean	SD	D	df	't' value
1	optimum	395	105.15	16.64	49.65	398	44.33*
2	Non-optimum	5	154.8	1.67			

*significant at **0.01** level

Table 8 indicate that average anxiety level between optimum group and non-optimum group differ significantly. Average anxiety of non-optimum group is significantly greater than optimum group. Therefore null hypothesis i.e. "There is no significant difference in academic achievement of the students having optimum and non-optimum level of anxiety" and a result our null hypothesis is rejected. So it can safely be concluded that there is significant differences between academic achievement of the students having optimum and non-optimum level of anxiety.

Conclusion

Based on the current study and also with the help of reviewing various related literatures it can be understood that Anxiety itself is normal and even useful. It can prepare us for upcoming events and motivate us to learn new way of coping with life challenges. Being anxious about tests reminds us to keep up with our homework and study likewise, being slightly anxious when meeting new people helps us avoid doing bizarre things and making bad impressions. For some people, however, anxiety can become debilitating and can interfere with every aspect of life. Anxiety is characterized by excessive anxiety in the absence of true danger. It is normal to be anxious in stressful or threatening situations. It is abnormal to feel strong chronic anxiety without cause. It is not always harmful for life despite it interrupted the success in life. That is why a question comes to this point that actually is it harmful for life or not? How far is it harmful for the student's performances? This is why we undertook the present study entitled "Anxiety of Adolescents in Relation to their Academic Achievement" and was found that anxiety and academic achievement are negatively related with each other. That means if a person's anxiety level is high then his academic achievement will be low. It signifies that anxiety interrupted the achievement of the students. Therefore, undoubtedly we can conclude that despite anxiety has the positive proliferation in life but it also interrupts the academic achievement consequently if high level of anxiety impeditment the academic achievement then it will not be exceptional for the other aspects of life. Therefore, results of the study and realization of mine lead to end up by suggesting and enumerating that anxiety factors has not always been harmful for our real life situation but when it became very high level then it will definitely be robust harmful for you. There are so many writers told that students having with high anxious level always lower than others normal anxious students. Henceforth, Anxiety factors are not only harmful for academic achievement but also every field of life. A little bit of anxiety is good but according to present study when anxiety cross optimum level (55-147 out of 192) then will be very harmful for all of us. That's why we have to avoid the anxiety, we have to maintain and not only we, also we to show the path to maintain the anxiety to the others so that they can live freely, purposefully and logically.

References

- Bryme B. (2000). Relationship between Anxiety, Fear, Self-esteem and Coping Strategies, *Journal of Educational psychology*, 35(137):201-215
- Calark, S. L. (1971). *A Study of the Relationship Between Secondary Student Teachers Anxiety Levels and Their Assignment of Letters Grades Under Simulated Conditions*. Doctoral Dissertation, Columbia University.
- Cassady, J. C. and Johnson, R.E. (in press). *Cognitive test anxiety and academic performance*. Contemporary Educational Psychology.
- Cattell, R. B. & Scheier, I.H. (1961). *The meaning and measurement of Neuroticism and anxiety*. New York: Ronald press.
- Crooks, T. J. and Stein, J. (1988). *Psychology: Science. Behaviour. And Life*. New York: Holt.
- Erin, A. M. et al. (2014). *Anxiety and cognition*, John Wiley & Sons, Ltd.
- Fatma, F. (2015). A study of anxiety of adolescents in relation to their gender, locality and academic achievement. *International Journal of Applied Research*, 1(12), 407- 411.
- Guilford JP. (1954) *Fundamental of Statistics in Psychology and Education*. New York: Mcgraw-Hill Book Company, Inc.
- Hancock, D. (2001). Effects of Test Anxiety and Evaluative Threat on Students' Achievement and Motivation. *Journal of Educational Research*, 94 (5), 284-290.
- Janis, (1980). *Test Anxiety: Theory, Research and Applications*. Hillsdale, N. J.: Erlbaum.
- Mattoo N H, Nabi R. (2012) A Study on Academic Anxiety among Adolescents (14-16 years). *International Journal of Social Science Tomorrow*. 1(3):1-3.
- Morris, L.W. Davis, M.A. and Hutching's C.H. (1981). Cognitive and emotional components of anxiety: Literature review and a revised worry - emotionality scale. *Journal of Educational Psychology* 73,541-555.
- Rebar, F. (1989). *A dictionary of psychology*, London penguin.
- Sarason I.G. and Stoops, R. (1978). "Test Anxiety and the passage of time", *Journal of consulting and clinical psychology* 46, pp 102-109.
- Spielberger (Ed.) *Stress and Anxiety*, Vol.5, Washington: Hemisphere.
- Sarason, I.G. (1984a). Stress, anxiety and cognitive interference: Reactions to Tests. *Journal of personality and social psychology*. 46,929-938.
- Sarason, I.G. (1984b). *Stress anxiety, worry and cognitive interference*. In R. Schwatzer (Ed). *Self related cognition in anxiety and motivation* (pp. 19-33) Hillsdale, NJ. : Erlbaum.
- Sharma, Y. K. (2011). *Elements of educational research*. Delhi: Kanishak Publishers and Distributors.
- Shibli, N. et al (2015). *The Effects of Anxiety on Achievement and Performance: A College Study* *International Journal of Scientific and Research Publications*, 1 ISSN 2250-3153 www.ijsrp.org
- Singh, H. (2003). *A new approach to methodology of educational research and educational statistics*. New Delhi: Kalyani Publishers.

डी.एड. एवं बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन (जिला ग्वालियर के सन्दर्भ में)

डॉ. दीपक शुक्ला

प्राचार्य, श्री वासुदेव वेसिक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
उम्मेदगढ़ वॉसी, जिला मुरैना (म0प्र0)

मो. नं.— 9407212500, Email- shukladeepak 2014@gmail.com

शिक्षा किसी भी समाज या राष्ट्र का मूलाधार होती है। आज के इस वैज्ञानिक युग में प्रत्येक मनुष्य तथा राष्ट्र सतत् रूप से प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्ति भौतिकवादी होता जा रहा है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति मौलिक अधिकारों की बात तो करता मिल जाएगा, किन्तु नैतिक कर्तव्यों का किसी को ध्यान नहीं है। समाज व उसमें व्याप्त समस्याओं का निराकरण केवल मनुष्य द्वारा ही संभव है और मनुष्य इस दिशा में कार्य करे इसके लिए आवश्यकता है ऐसी शिक्षा की जो उसे एक प्राणी मात्र से एक जिम्मेदार नागरिक बना सके।

वर्तमान समाज में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो हर व्यक्ति को एक जिम्मेदार व आदर्श नागरिक के रूप में विकसित कर सके। जिससे व समाज के व्याप्त समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का अनुभव करे और उनके निराकरण हेतु स्वयं को तत्परता के साथ समर्पित कर सकें।

पर्यावरण:—

पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है परि+ आवरण अर्थात् हमारे चारों ओर जो आवरण व्याप्त है, वह सब पर्यावरण है। पर्यावरण से यहाँ हमारा तात्पर्य केवल प्राकृतिक पर्यावरण से है। मनुष्य जन्म से ही प्रकृति के सानिध्य में जीवन व्यतीत करता है और उसमें निहित प्राकृतिक संसाधनों का सम्पूर्ण जीवन उपयोग करता है। लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि जब संसाधनों का अंत हो जाएगा तो क्या हमारे पास इनका कोई और विकल्प है? इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति का पर्यावरण के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। पर्यावरण के प्रति उक्त वांछनीय जागरूकता किसी व्यक्ति में शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि व्यक्ति जैसी शिक्षा, दीक्षा ग्रहण करता है, वैसा ही आचरण करता है, चूँकि शिक्षा एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व शिक्षक का होता है इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन आने के कारण उसे प्रभावी तरीके से देने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण के आवश्यकता पड़ी।

संसाधनों का हास:—

आज के अंतर्राष्ट्रीय तनाव के परिप्रेक्ष्य में भारी मात्रा में भौतिक संसाधनों का उपयोग सैन्य बल हेतु शस्त्र निर्माण व उनके रख रखाव में हो रहा है। आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र आयुध सम्पन्न राष्ट्र से अस्त्र—शस्त्र आयात करते हैं और निर्यातक राष्ट्र निर्यात वृद्धि हेतु भौतिक संसाधनों का धुआँधार तरीके से उपयोग करते जा रहे हैं। जिससे

इण्डोनेशिया के सघन विषुवती सदावहार वनो का , जिन्हे विश्व का फेफड़ा समझा जाता था, का भी व्यापक पैमाने पर कटाव हो रहा है।

पर्यावरण अवक्रमण की समस्या असंतुलित जनसंख्या, आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण भौतिक समृद्धि एवं विश्रुखल समाज से घनिष्ट रूप में जुड़ी है।

**एक चिनगारी कहीं से दूँदकर लाओ दोस्तो ।
इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है ॥**

अर्थात् आज जरूरत है हमारे समाज के लिए वैचारिक क्रान्ति रूपी चिनगारी की जो परिवर्तन का दिया जला सके। अर्थात् समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जब सोच पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होगी तभी इस संसार में प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ पर रोक लगाना संभव है। और समाज के जागरण के इस प्रनीत कार्य का उत्तरदायित्व शिक्षको पर ही है।

समेकित विकास:-

विकास से तात्पर्य होता है कि वाद की अवस्था में पहले की अवस्था से कुछ सकारात्मक परिवर्तन होना। कुछ समय पहले तक संसाधनो का प्रचुरतय प्रयोग करके वर्तमान जीवन को अधिक समृद्धिशाली बनाना है, विकास हेतु प्रयासरत था। किंतु इस प्रतिष्पर्धात्मक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनो का निरंतर अवक्रमण होता चला गया।

वर्तमान समय में एक नयी आवधारणा आयी है समेकित विकास। अर्थात् ऐसा विकास जिसमें संसाधनो का प्रयोग आगे आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओ को ध्यान में रखकर किया जाए। आज विश्व के समस्त राष्ट्र प्रकृति मे हो रहे परिवर्तन व भौतिक संसाधनो के अवक्रमण के दुष्परिणामो से भयभीत है और इसलिए संसार के सभी देश संसाधनो का दोहन संयमित करने व प्रदूषण को नियंत्रित करने मे लगे हुए है।

अर्थात् वर्तमान समय मे विश्व के सभी राष्ट्र विकास हेतु तो सक्रिय है किंतु वे इस विकास को भविष्य को दाँव पर लगाकर प्राप्त करना नहीं चाहते। इस प्रकार का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने लिए न सोच कर सम्पूर्ण समाज, सृष्टि व मानव जाति के हित के वारे में सोचे और यह तभी संभव है जब विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो तथा प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से प्रेम व स्नेह रखे क्योंकि –

**क्या करेगा प्यार वो ईमान से , क्या करेगा प्यार वो भगवान से ।
जन्म लेकर गोद मे इंसान की ,कर न पाया प्यार जो इंसान से ॥**

उद्देश्य:-

उपरोक्त अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान से प्याप्त सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण के प्रति भावी अध्यापको की जागरुकता का पता लगाना है। क्योंकि वर्तमान के प्रशिक्षणार्थी जब भविष्य के शिक्षक बनेंगे तो वे उन्ही भावो का हस्तांतरण कर सकेंगे जो उनमे होंगे। वास्तव मे कोई भी व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति को वही दे सकता है जो उसके पास हो। इसलिए यहाँ शोधार्थी का उद्देश्य प्रस्तुत शोध के माध्यम से भावी अध्यापकों मे पर्यावरण के प्रति जागरुकता का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्न प्रकार है—

- 1 भावी अध्यापको में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना
- 2 बी.एड. एवं डी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- 3 महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ:—

चूँकि प्रत्येक शोध का आधार परिकल्पनाएँ ही होती है अतः यहाँ भी शोधार्थी द्वारा निम्न परिकल्पनाओं का चयन किया गया।

- 1 बी.एड. एवं डी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- 2 महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोधविधि:—

प्रस्तावित शोधकार्य एक सर्वेक्षण शोधकार्य है। तथ्यों के स्पष्टीकरण हेतु पुस्तको, पत्रिकाओं, शोधपत्रों आदि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श:—

न्यादर्श में ग्वालियर जिले के अशासकीय शिक्षा महाविद्यालय के 50 बी.एड. व डी.एड. प्रशिक्षणार्थियों का चयन या दृष्टिहीन विधि से निम्न प्रकार किया गया है।

न्यादर्श –तालिका

100 प्रशिक्षणार्थी			
50 बी.एड.		50 डी.एड.	
महिला—25	पुरुष—25	महिला—25	पुरुष—25

उपकरण

उक्त शोध में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का स्तर ज्ञात करने हेतु प्रमाणीकृत परीक्षण— डॉ० प्रवीण कुमार झा द्वारा निर्मित “पर्यावरण जागरूकता मापनी” का उपयोग किया गया है।

समको का संकलन:—

उपरोक्त परीक्षण को शोधकर्ता द्वारा स्वयं अपनी उपस्थिति में न्यादर्श को दिया गया। शोधकर्ता द्वारा स्वयं समस्त निर्देशों को पढ़ा गया तथा स्वतंत्र भाव से शांत वातावरण में पत्रको को पूर्ण कराकर स्वयं उन्हें संकलित किया गया। संकलन उपरांत शोधकर्ता द्वारा पत्रको का फलांकन किया गया और फिर प्राप्त आकड़ों का व्यवस्थापन, व सारणीयन कर व्याख्या व विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व टी. परीक्षण का प्रयोग किया गया।

निष्कर्ष:—

शोधार्थी ने अपने शोधकार्य के माध्यम से चयनित परिकल्पनाओं की जाँच की और इस जाँच के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए।

- (1) प्रथम परिकल्पना

बी.एड. व डी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

98 डी.एफ (स्वतंत्रता की कोटि) पर सी.आर का मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.98 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.63 होना चाहिए जबकि गणना से प्राप्त सी.आर का मान 1.68 है जो दोनो सार्थकता स्तरों के मान से कम है। अर्थात् नगण्य है अतः परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है। अर्थात् बी.एड. व डी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। लेकिन मध्यमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों में डी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की तुलना में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का स्तर तुलनात्मक रूप से अधिक है

(2) द्वितीय परिकल्पना

महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

98 डी.एफ. (स्वतंत्रता की कोटि) पर सी.आर का मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.098 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर 2.63 होना चाहिए जबकि गणना से प्राप्त सी.आर का मान 0.68 है जो दोनो सार्थकता स्तरों के मानों से कम है अर्थात् नगण्य है अतः परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है। अर्थात् महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं है। किंतु मध्यमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महिला प्रशिक्षणार्थियों में पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की तुलना में पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूकता पायी जाती है—

भावी शोध हेतु प्रस्तावः—

उपरोक्त शोध के आधार पर शोधार्थी भावी शोध कार्य हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत करता है।

- 1 राज्यवार जागरूकता के स्तर में अंतर का आंकलन करना।
- 2 जागरूकता के स्तर के गिरने के कारणों का आंकलन करना।
- 3 घर के वातावरण का जागरूकता के स्तर पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- 4 बुद्धिलब्धि का जागरूकता के साथ संबंध निकालना।
- 5 ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लोगों की जागरूकता का अध्ययन करना। इत्यादि

संदर्भ ग्रंथ सूचीः—

- 1 चांदना, आर.सी.(2000) पर्यावरण शिक्षा की रूपरेखा .कल्याणी प्रकाशन।
- 2 सिंह जगदीश, (2001) पर्यावरण संविकाश, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर।
- 3 श्रीवास्तव गोपीनाथ (2001) पर्यावरण प्रदूषण, सुनील साहित्य सदन, दिल्ली।
- 4 नौ रियाल शिवानन्द (2004) पर्यावरण समस्या और समाधान, सामयिक प्रकाशन, दिल्ली।
- 5 सिंह सविन्द्र (2006) इन्वायरमेन्टल ज्योग्राफी, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
- 6 विज्ञान प्रगति, मई 2010।
- 7 पाण्डेय रामशकल, शिक्षा मनोविज्ञान, आर0 लाल बुक डिपो मेरठ।
- 8 परिप्रेक्ष्य नीपा, अप्रैल 2004।
- 9 वर्मा डा00 प्रीति मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
- 10 राय पारसनाथ, अनुसंधान एक परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा।

Disabled Children: Legal Provisions

Dr. Rajeev Verma

(Asst. Prof., Dr. B. R. Ambedker University, Agra
Email: rajeevaimhigh@gmail.com, Ph. 8755978242)

Abstract

Disability must be defined as it is experienced by all disabled people, regardless of age and gender. Disability is an impairment that may be Cognitive, development, intellectual, mental, physical, and sensory or some combination of these. It substantially affects a person's life activities and may be present from birth or occur during a person's lifetime. It is a complex phenomenon, reflecting the interaction between features of a person's body and features of the society in which he or she lives. The Constitution of India applies uniformly to all of its citizen, whether they are healthy or disabled in any way physically or mentally. Persons with Disabilities are valuable human resource for the Country. The Government of India formulated the National Policy for Persons with Disabilities in February 2006 which deals with Physical, Educational & Economic Rehabilitation of persons with disabilities. The descriptive nature of this paper basically uses published secondary data related to issue and also takes references of useful websites links.

Key Words

Constitution, Disability, Child, Rehabilitations, Policies & plans

INTRODUCTION

The Constitution of India secures to its citizens including the disabled, a right of justice, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and for the promotion of fraternity. The right of every child to education is proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights (1948) and was strongly reaffirmed by the Jomention World Declaration of Education for All (1990). Furthermore, the Standard Rules on the Equalization of opportunities for Persons with Disabilities (1993) was an important resolution to improve the educational conditions of persons with disabilities. This had major implications for the Indian situation in the form of three legislative Acts-

- The Rehabilitation Council of India Act, 1992 (RCI Act)
- The Persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and full participation) Act, 1995(PWD Act)
- The National Trust for welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999

The RCI Act is solely concerned with manpower development for the rehabilitation of persons with disabilities. The PWD Act is a significant endeavor to empower persons with disabilities and promote their equality and participation by eliminating discrimination of all kinds. The National Trust Act aims at providing total care to persons with mental retardation and cerebral Palsy and also manages the properties bequeathed to the trust. It is often established in the collective conscious that a disability is a curse or a punishment for sins committed by ones ancestors. In numerous regions around the world, children suffering from disabilities are isolated, shunned and are considered untouchable. Disabled children are most often separated from the children , kept in special institutions away from the family, in special classes etc. children with disabilities are one of the most marginalized and excluded groups in society.

Disabilities: Definition, types & Causes

Medical Definition of Disability

A Condition grounded in the Physiological, biological and intellectual impairment of an Individual.

Social Definition of Disability

UN Standard Rules on the Equalization of opportunities for Persons with Disabilities,1993 have defined disability from a perspective that emphasizes Social Condition which disable a group of individuals by ignoring their of accessing opportunities in a manner conducive to their Circumstances.

Human Rights Definition of Disability

Disability is the disadvantage or restriction of activity caused by a society which takes little or no account of people who have impairments and thus excludes them from mainstream activities. Persons with disabilities include those who have long term Physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.

(The Convention of the Rights of people with disabilities adopted in the year 2006)

Impairment

Any loss or abnormality of Psychological, Physiological or anatomical structure or function.

Disability

Any restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for human being.

Handicap

The result when an individual with impairment cannot fulfill a normal life role.

(WHO International classification of impairments Disabilities and Handicaps (1980))

Disabilities in Children

Visible Disabilities

Disabilities that can be objectively observed and measured by others.

Invisible Disabilities

Disabilities whose manifestations do not evoke outward signs that may alert casual observers of a person's condition. (Falvo,2005)

Autism

A developmental disability significantly affecting verbal and nonverbal communication and social interaction that adversely affects a child's educational performance. Other characteristics that may be associated and stereotyped movements, resistance to environmental change or change in daily routines, and unusual response to sensory experiences.

Communication Disorder

The impairment of speech articulation ,voice ,fluency , or the impairment or deviant development of language comprehension and /or expression, or the impairment of the use of a spoken or other symbol system that adversely affects educational performance.

Deaf blindness

Both hearing and visual impairments, the combination of which causes such severe Communication and other development and educational problems that the child cannot be accommodated in special education programs designed solely for students having hearing impairments.

Emotional disturbance

A Condition exhibiting one or more of the following characteristics.

- An inability to learn that cannot be explained by intellectual, sensory, or health factors.
- An inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationships with peers and teachers.
- Inappropriate types of behavior or feelings under normal circumstances.

- A general pervasive mood of unhappiness or depression
- A tendency to develop physical symptoms or fears associated with personal or school problems.

Hearing Impairment

Those children who are hard of hearing or deaf.

Intellectual Disability

Significantly sub average general intellectual functioning (child intelligence test score is two or more standard deviations below the norm on a standardized individual intelligence test)

Orthopedic Impairment

A motor disability that includes impairments caused by an anomaly, disease or other conditions (e.g. cerebral Palsy, spinal bifida, muscular dystrophy or traumatic injury)

Other Health Impairment

Means limited strength, vitality, or alertness, including a heightened alertness to environmental stimuli.

Traumatic Brain Injury

An acquired injury to the brain caused by an external physical force resulting in total or partial functional disability or psychosocial impairment or both.

Causes of Disabilities

Genetic Problems

Hereditary neurological disorders (HND) are relatively common in children compared to those occurring in adulthood.

Malnutrition and Disability

Malnutrition in its various forms is a cause of disability as well as a contributory factor in other ailments that increase susceptibility to disabling conditions.

Vitamin A Deficiency -blindness

Vitamin B Complex deficiency

Beri-Beri (inflammation or degeneration of the nerves, digestive system and heart), Pellagra (central nervous system and gastro intestinal disorders, skin inflammation) and anemia

Vitamin D deficiency

Rickets (soft and deformed bones)

Iodine deficiency

Slow growth, learning difficulties, intellectual disabilities and goiter

Iron deficiency

Anemia, which impedes learning and activity, and is a significant cause of maternal mortality

Calcium deficiency - Osteoporosis (fragile bones)

Occupational Hazards

In Order to maximize profits production is often located wherever costs are lowest, regulations loose and workers least likely to organize for better working conditions and fair wages. This often result in high rates of accidents, poisoning from toxins, loss of hearing and vision , and health deterioration, all of which contribute to short term and long term disability.

Traffic Hazards

Unplanned cities with narrow roads, rapid growth in number of vehicles and disregard of traffic regulations have been responsible for increasing the number of road accidents in India. If current trends continue, road accidents may become the leading cause of death and disability in the country.

(As per the central Bureau of Health Intelligence Report of 1997-98, 69,800 people died in road accident that year.)

Crime and Disability

Many children and women are abducted to be used in prostitution, slavery and beggary. In such case, the risk of emotional, mental and physical disabilities increase manifold.

War and Disability

War has been the single largest factor responsible for causing permanent disablement not only to combatants in the battlefield but also to civilians who are forced to bear the hazards of lethal, chemical and nuclear weapons.

Poverty and Disability

People with disabilities are very vulnerable to poverty, if they are not already poor, since disability often results in loss of income and demands additional expenditure. The extra costs directly related to disability included expenses on medical treatment, purchase and maintenance of special devices, and travelling to access rehabilitation and medical facilities.

Poor sanitation System

Inadequate shelter, unhygienic living condition, lack of sanitation and clean drinking water combined with poor access to health facilities lead to disability.

Disease and disability

Any illness impairment or abnormal condition that effects primarily infants and children. Preventive measures must be taken during the period from conception to adolescence

Census of India 2011: Data on Disability

The Indian Census is the most credible source of information on Demography (Population characteristics), Economic activity, Literacy and Education, Housing & Household amenities, Urbanization, Fertility and Mortality Scheduled castes and Scheduled Tribes Language, Religion, Migration, Disability and many other Socio- Cultural and demographic data since 1872. The present data pertains to the Censuses of India 2011.

Disabled Population by Sex and Residence India, 2011

Residence	Persons	Males	Females
Total	26,810,557	14,986,202	11,824,355
Rural	18,631,921	10,408,168	8,223,753
Urban	8,178,636	4,578,034	3,600,602

* Source C- Series Table C-20, Censuses of India 2011

Disabled Population by Type of Disability India, 2011

Types of Disability	Persons	Males	Females
Total	26,810,557	14,986,202	11,824,355
In Seeing	5,032,463	2,638,516	2,393,947
In Hearing	5,071,007	2,677,544	2,393,463
In Speech	1,998,535	1,122,896	875,639
In Movement	5,436,604	3,37,374	2,066,230
Mental Retardation	1,505,624	870,708	634,916
Mental Illness	722,826	415,732	307,094
Any other	4,927,011	2,727,828	2199,183
Multiple disability	2,116,481	1,162,604	953,883

Disabled population by Age and Sex India, 2011

Proportion of Disabled population in the Respective Age Groups India, 2011

Age Group	Persons	Males	Females
All Ages	2.21	2.41	2.01
0-4	1.14	1.18	1.11
5-9	1.54	1.63	1.44
10-19	1.82	1.96	1.67

20-29	1.97	2.22	1.70
30-39	2.09	2.41	1.77
40-49	2.31	2.66	1.94
50-59	2.83	3.16	2.47
60-69	4.15	4.41	3.89
70-79	6.22	6.26	6.19
80-89	8.41	8.33	8.48
90 +	8.40	7.88	8.85
Age not stated	3.07	3.21	2.91

The countries disabled population has increased by 22.4 % between 2001-2011. The number of disabled, which was 2.19 crore in 2001, arose to 2.68 crore in 2011, in which 1.5 corer males and 1.8 corers females. Rural Areas have more disable people then urban areas.

India has 20.42 lakh disabled children aged between 0-6 years. Around 71% (14.52 lakh children) are in rural areas and 5.9 lakh children in cities. Out of 20.42 lakh disable children there are 11.04 lakh are male and 9.38 lakh female children, Among these population 1.49 lakh children have multiple disabilities.

Uttar Pradesh has the maximum number of children with disabilities. Bihar is next on the list with 2.90 lakh children. Maharastra has 2.17 lakh children with disabilities. Andhra Pradesh has 1.27 lakh children, followed by Karnataka 92,853, Kerala 26,242. Smaller States Sikkim has the lowest number 628 disabled children and Assam 35.742 disabled children.

* (The Economic Times. Chennai Dec. 23, 2014)

The Constitution of India

The Constitution of India came into effect in1950 and has since been the Conscience of the National and the cornerstone of the legal and judicial system-

Article 15(1)

The state shall not discrimination against any citizen on grounds only or religion, race, sex, place of birth or any of them,

Article 15(2)

No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subjected to any disability, liability, restriction or condition with regard to

Access to shops, public restaurants, hotels and palaces entertainment; or

The use of well, tanks, bathing ghats, roads and place of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public.

Article17

The enforcement of any disability arising out of untouchabilty shall be an offence punishable in accordance with law.

Article21

Protection of life and personal liberty no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.

Article 23

Prohibition to traffic in human beings and forced labour

Traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service prevent the state from imposing compulsory service for public purpose, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them.

Article 29(2)

No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

Article 32

The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed.

The Supreme Court shall have power to issue directions or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, which ever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this part.

Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clause(1) and (2), parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the supreme court under clause(2)

The right guaranteed by these articles shall not be suspended except as otherwise provided for by this constitution.

Disabled- related Legislations

The Rehabilitation Council of India Act 1992

RCI is the only institution which takes care of manpower development of different categories of professionals for comprehensive rehabilitation of persons with disability to meet the needs of their entire life cycle, i.e., physical and medical rehabilitation; educational rehabilitation; vocational rehabilitation; and social rehabilitation. It has the following objectives:

- To regulate the training policies and programmes in the field of rehabilitation of persons with disabilities.
- To bring about standardization of training courses for rehabilitation professionals/ personnel dealing with persons with disabilities.
- To prescribe minimum standards of education and training in the field of rehabilitation uniformly throughout the country.
- To regulate these standards in all training institutions uniformly throughout the country.
- To recognize foreign degrees/diplomas/ certificates in the field of rehabilitation awarded by universities/institutions on and reciprocal basis.
- To maintain Central Rehabilitation Register of professionals/ personnel possessing the recognized rehabilitation qualifications.
- To collect information on regular basis, on education and training in the field of rehabilitation of persons with disabilities from institutions in India and abroad.
- To encourage continuing rehabilitation education by way of collaboration with organizations working in the field of rehabilitation of persons with disabilities.
- To promote research in rehabilitation and special education.

The person with Disabilities (equal opportunities protection of Rights and full participation) Act 1995

This Act provides for both the preventive and promotional aspects of rehabilitation like prevention, early intervention, education, employment and vocational training, reservation, research and manpower development, creation of barrier free environment, unemployment allowance, special insurance scheme Participation for the disabled employees and establishment of homes for persons with severe disability etc.

The Mental Health Act 1987

Under the Mental Health Act 1987 mentally ill persons are entitled to the following rights:

A right to be admitted, treated and cared in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home or convalescent home established or maintained by the Government or any other person for the treatment and care of mentally ill persons (other than the general hospitals or nursing homes of the government.)

- Mentally ill prisoners and minors have a right of treatment in psychiatric hospitals or psychiatric nursing homes of the Government.
- Minors under the age of 16 years, persons addicted to alcohol or other drugs which lead to behavioral changes, and those convicted of any offence are entitled to admission, treatment and care in separate psychiatric hospitals or nursing homes established or maintained by the Government.
- Mentally ill persons have the right to get regulated, directed and coordinated mental health services from the Government. The Central Authority and the State Authorities set up under the Act have the responsibility such regulation and issue of licenses for establishing and maintaining psychiatric hospitals and nursing homes.
- Treatment at Government hospitals and nursing homes mentioned above can be obtained either as in patient or on an out patients basis.

The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999

This Act provides for the constitution of a national body for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities. Such a national body will be a trust whose objects are as under:

- To enable and empower persons with disability to live as independently and as fully as possible within and as close to the community to which they belong
- To strengthen facilities to provide support to persons with disability to live within their own families
- To extend support to registered organization to provide need based services during the period of crisis in the family of persons with disability
- To deal with problems of persons disability who do not have family support
- To promote measures for the care and protection of persons with disability in event of death of their parent or guardian
- To evolve procedure for the appointment of guardians and trustees for persons with disability requiring such protection
- To facilitate the realization of equal opportunities, protection of rights and full participation of persons with disability
- To do any other act, which is incidental to the aforesaid objects

Epilogue

In 1980, as an alternative to disabled, handicapped, etc, the word Differently Abled was first proposed on the grounds that it gave a more positive message and so avoided discrimination towards people with disabilities. The term differently Abled recognize talent and value in everybody and treat them equally. Discrimination in any form limits the ability of differently abled children to develop to their full potential. Although equal rights are given to differently abled persons but in practice these rights and policies are weakly enforced and not well implemented. Changing mindset to ensure equity and social justice is a big challenge. Along with the constitutional guarantees and legislative measures lots need to be done to realize these measures on ground so that effective implementation takes place. Physical or mental disability can affect certain everyday functions of the differently abled children but by providing right opportunity, support and love we can make their lives easier and happier. Our sincere efforts towards developing a system of help and right mindset can make the world more accessible for children with disability. There is nothing that can stop the creativity of disabled child.

- **References**

- Alur, M. (2002). "Special Needs Policy in India", in S. Hegarty and M. Alue (eds), Education and Children with Special Needs: From Segregation to Inclusion. New Delhi: Sage.
- Balasubramanian, K. (2004). The Helping Hand (A Short Story about a Disabled Child). Hyderabad: Spark-India.
- Baquer, A. and A. Sharma (1997). Disability: Challenges vs. Responses. New Delhi: CAN.
- Basu, D.D. "Constitution of India" 21st edition, Lexis Nexis Publication, 2013
- Bhattacharya, B. (2001). Multi-colored Wings. Kolkata: Indian Institute of Cerebral Palsy.
- Borah, J. R. (2003). An In-depth Study into the Problems of Education of the Mentally Retarded Children in Assam. Ph.D. thesis, Guwahati University.
- Connell, R. (2002). Gender, Cambridge, Polity. Chadha, A. (2002). "Inclusive Education in DPEP". Journal of Indian Education. Special issue on Education of Learners with Special Needs.
- Corker, M. and S. French, Eds. (1999). Disability Discourse. Buckingham, Open University Press.
- Dash, A. (1997). Impact of Adapted Physical Education on the Physical Fitness of Mentally Retarded Children. Disabilities and Disabilities, 11(1): 9–15.
- "Education of children with special needs" – National Council Of Education Research and Training, NCERT Sri Aurobindo Marg New Delhi
- Government of India- Persons with Disability (Equal opportunity, Protection of Rights and Full Participation) Act New Delhi: Govt. Press, 1995 www.ccdisabilities.nic.in Retrieved on 25.02.2014
- Hasanuzzaman M, Khan S. Disability and access to higher education in India. Int J Res Commerce Manage 2011; 2(11) : 107-10.
- <http://censusindia.gov.in/>
- <http://Punarbhava.in/indentr> <http://www.nhrc.nic.in/documents/Publications/NHRC-Book-Disability.pdf>. Retrieved on 25.02.2014. Advani, L. (2002). "Education: A Fundamental Right of Every Child Regardless of His/Her Special Needs". Journal of Indian Education; Special Issue on Education of Learners with Special Needs. New Delhi: NCERT.
- <http://www.un.org/disabilities/default.asp>
- Mohit A, Pillai M, Rungta P. Rights of the Disabled, 2006. National human right commission, <http://bhrc.bih.nic.in/Docs/Rights-of-the-Disabled.pdf>.
- National Human Rights Commission Disability Manual 2005
- Pandey, J.N., Constitution of India (Pdf e books)
- Policies and Schemes of Central and State Governments for People with disabilities .www.sightsaversindia.in
- Promoting the rights of children with disabilities (UNICEF) ISBN:978-88-89129-60-9
- Registrar General of India(2011). Census of India <http://www.censusindia.net>
- S.J, Murickan, Jose, Persons with disabilities in Society, Kerala Federation Of the Blind
- United Nations ESCAP The Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities 1993-2002 Resource Materials.
- UNESCO(2000). Inclusion in Education: The Participation of Disabled Learners. World Education Forum: Education For All 2000 Assessment. Paris: UNESCO.
- "Violence Against Disabled Children" convened by UNICEF at the United Nations, New York July 28, 2005

A Study Of Impact Of Education On Health Progress In India

Anita Pruthi¹, Navneet K. Pruthi²

¹D.A.V College, Abohar, ²D.A.V College, Chandigarh,

Abstract:

According to Prof. Grout, “Health education is the translation of what is known about health into desirable individual and community behaviour pattern by means of educational process.” Health education aims at enabling the students to develop a scientific view of health, identify health problems and understand the role of the individual and medical agencies [1]. Health education is not only the responsibility of an individual but also of the whole community. Most of the people believe that if they provide good education to their children, they will be able to find good job and hence earn well and will provide good financial support to their parents in their old age. Only a few people think of education as a pavement for sound health. Education entirely changes the way individuals behave and the choices concerning health that they make.

In this paper, a study is conducted on the impact of education on child nutrition, effects of education in eradicating polio and yaws like diseases and also its effects on reducing tobacco use etc.

Introduction:

According to the World Health Organization, “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity.”

The biopsychosocial model of health represents a departure from traditional biomedical thinking. Although it accepts the importance of biological determinants of health, it emphasises the reciprocal and dynamic interactions between different levels of human and social systems, from the biochemical to the sociocultural. [2]. As general public is very less concerned about health, it is the responsibility of we teachers to educate our society to improve and maintain health by providing platform for gaining knowledge, skills and attitudes on health. There is a well-known, large and persistent association between education and health. This has been observed in many countries and time periods, and for a wide variety of health measures. The differences, in terms of health of more and less educated are significant [3]. The better educated are less likely to be in bad health and spend fewer days in bed or not at work because of disease. People with more years of schooling tend to have better health, it reduces the probability of their dying, it also reduces the risk of their poor health and their child mortality rate is also reduced.

Effects of education on child nutrition:

In developing countries like ours, lack of adequate nutrition is one of main reasons of illness and even death among children which affects their growth and mortality rates in later years of their life. The main reasons of child malnutrition are unhygienic conditions in which they are left, v




Figure 1: Percentage of children under age four who are stunted, underweight or wasted [4] in 1992-93 in Kerala and Bihar.

I have taken under consideration data of two states Kerala and Bihar. We know that Kerala has achieved cent percent literacy rate whereas Bihar lags far behind in the terms of education. Even Kerala is the state with lowest level of malnutrition and Bihar has the highest level of malnutrition in India. It is clearly visible in Figure 1 that how proper education helps in lowering the levels of malnutrition in children.

Mother’s education plays an important role in preventing malnutrition in their children and thereby decreasing mortality rate in children. The black bar in graph represents children of illiterate women. In Figure 2 grey bar represents children of women who are less than middle school complete and white bar represents children of mothers who are middle school complete or have higher education. Again this graph clearly displays that illiterate mothers’ children are underweight, wasted and stunted more than the literate ones. If a mother is educated then at her pregnancy period she can take good care of herself. She knows well that she has to take iron and folic acid tablets for proper growth of the baby in her womb. She knows the importance of injections and routinal checkups for the sound growth of the baby, both physically and mentally and hence healthy baby is born and the credit goes to the well-aware and well-educated mother.




Figure 2: Adjusted effect of mother's education on the proportion of children under age four who are stunted, underweight or wasted in india [4] (1992-93).

Impact of education on successful eradication of yaws from India:

Yaws is a disfiguring disease caused by *Treponema pallidum* which affects the tribal population mainly, and is one of the most neglected tropical diseases in the world. It is not a fatal disease but it causes disabilities and visible deformities of the face and extremities which arise discrimination and hence the person who is affected by this disease can’t participate in community life.




Figure 3: Number of reported yaws cases in India from 1996 to 2013 [5].

It can be clearly viewed from the Figure 3 that yaws considerably decreased to elimination and after that eradication. The achievement of yaws eradication in India is an excellent example of triumph of education and public health over a disease which still afflicts many populations in remote area in Africa and Asia [5].

Not only yaws, small pox and guinea worm disease had also been successfully eradicated because of health education.

Impact of education on successful eradication of polio from India:

When polio was not eradicated from India various surveys were done. Majority of those surveys concluded that the major reason for non immunization of children was the lack of awareness of their parents. From this we can include that education, especially health education, is of utmost importance for fighting with such diseases and eradicating them.




Figure 4: Number of Polio cases reported in India from 1998 to 2011 [6].

This graph again shows that due to widespread of education, after 2011 polio has been eradicated from our country.

Impact of education on Tobacco use in Gujarat:

City of Gujarat has been because of high predominance of tobacco-related cancers in Gujarat. All tobacco consumption was broadly classified into three categories: smoking, chewing and snuffing. Figure 5 shows that as the level of education increases from primary to secondary to higher secondary and then graduation and above, the consumption of tobacco in any form has been reduced to a great extent.




Figure 5: Tobacco cases observed for different levels of education in Gujrat [7].

Conclusion:

It is observed that education can influence our health in so many direct and indirect ways. Also education among adults, especially mothers is linked with their children's well being and quality life. People with more education are likely to live longer with better health outcomes. Not only this, we find that even fatal diseases can be strongly controlled and even eradicated by the proper spread in health education. Even bad habits like smoking, tobacco-use, alcohol consumption, obesity, use of illicit drugs, physical inactivity etc. can be improved. I conclude this paper by the lines of Buddha. "To keep the Body in good health is a duty..... otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear."

References:

- [1]. Dheer S, Kamal R and Basir M, "Introduction to Health Education", Friends Publication (INDIA)
- [2]. Feinstein L, Sabates R, Anderson TM, Sorhaindo A and Hammond C," What are the Effects of Education on health?", Measuring the Effects of Education on Health and Civic Engagement : Proceedings of the Copenhagen Symposium-OCED 2006.
- [3]. "The Effects of Education on Health", The National Bureau of Economic Research <http://www.nber.org/digest/mar07/w12353.html>.
- [4]. "Women's Education can improve Child Nutrition in India", East -West center Research Program Population and Health Honolulu Number 15, Feb 2000, NFHS BULLETIN.
- [5]. Narain J.P., Jain S.K, Bora D and Venkatesh S, "Eradicating Successfully yaws from India: The strategy and global lessons", Indian J Med Res 141, May 2015, PP 608-613
- [6]. "Polio Eradication In India: The Way Forward-medIND" <http://www.medind.nic.in>icb>
- [7]. Bala D.V., Bodiwala I.N, Patel DD and Shah PM "Epidemiological Determinants of Tobacco use in Gujarat State, India", Indian Journal of community Medicine, Vol. 31, No. 3, July-sep2006. PP 173-176.

डोकलाम का स्त्रातजिक महत्व

डा. अतुल चन्द

अस्टिन्ट प्रोफेसर – रक्षा अध्ययन, राजकीय महाविद्यालय बलुवाकोट
पिथौरागढ़ 262576 (उत्तराखण्ड)

भारत एवं चीन के मध्य डोकलाम विवाद एक नए विवाद के रूप में उभरा है। यह विवाद चीन द्वारा उस क्षेत्र में सड़क निर्माण प्रारम्भ करने के कारण भारत एवं भूटान के मध्य उपजी सुरक्षा चिंताओं को प्रकट कर रहा है। जिस कारण भारत एवं भूटान उस क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क निर्माण हेतु किये गये प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। भारत एवं भूटान की चीन की चिंताएं तर्क संगत हैं। क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति रही है, इस विवाद के मूल में जाने के पूर्व यदि हम भारत के स्वतंत्रता के पहले के सम्बन्धों पर दृष्टि डालते हैं, तो यह स्पष्ट होता है, कि पूर्व में भारत एवं चीन के मध्य ऐतिहासिक सम्बन्ध रहे हैं। चीनी यात्री फाहयान एवं हुयनसांग भारत आये सम्राट अशोक के पुत्र चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये गये। चीन एवं भारत के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध भी रहे हैं। किन्तु चीन में साम्यवादी सरकार के स्थापना के बाद से ही चीन की नीति में व्यापक बदलाव आया है, और इसकी नीति विस्तारवादी हो गयी है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत के हिस्सों को अपने नक्शों में दर्शा कर दिया यहाँ तक की उसने तिब्बत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा भी कर लिया, और लगातार यह अर्नगल प्रलाप करता रहता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का कुछ हिस्सा उसका है। उसके विस्तारवादी नीति का हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं, कि उसकी सीमा विश्व के 20 देशों के साथ मिलती है, और सभी के साथ उसका सीमा विवाद रहा है। कुछ सीमा विवाद को चीन ने अपनी शर्तों पर सुलझाया भी है। किन्तु अभी भी चीन का 14 देशों के साथ सीमा विवाद है। चीन की विस्तारवादी नीति का एक प्रत्यक्ष उदाहरण चीन एवं पाकिस्तान के सीमा विवाद है जिसका पटाक्षेप चीन पाकिस्तान से पाक अधिकृत काश्मिर के हजारों मील भूमि पर कब्जा करने के बाद ही हो पाया, 1963 चीन पाकिस्तान सीमा समझौता के तहत 5180 वर्गमील पर चीन ने कब्जा कर लिया कब्जा वाला क्षेत्र विवादित है। भारत के विरोध के बावजूद चीन ने कश्मिर की हजारों वर्गमील भूमि पर अपना कब्जा जमा लिया है। और अक्साई चीन के इस हिस्से पर ग्वादर बन्दरगाह तक सड़क भी शुरू कर लिया है। चीन की इस विस्तारवादी नीतियों के कारण ही भारत एवं चीन के मध्य सम्बन्ध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। चीन की विस्तारवादी साम्यवादी सरकार नित्य नये नक्शे जारी कर नये विवाद को जन्म देते रहे हैं।

डोकलाम – डोकलाम क्षेत्र भारत, भूटान एवं चीन का मिलन बिन्दु है, सिक्किम में डोकलाम पठार का कुछ हिस्सा भूटान में पड़ता है। भूटान में यह पठार डोक-ला कहलाता है। जबकि चीन इसे डोकलांग¹ कहता है। डोकलांग² सामरिक रूप से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण क्षेत्र³ है, क्योंकि इस स्थान से भारत भूटान के साथ-साथ चीन की सीमा भी जुड़ती है। भारत की स्त्रातजिक स्थिति इस स्थान को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। क्योंकि भारत यहाँ पर उचाई पर है जहाँ पर चीन पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। चीनी सैनिकों के आक्रमण के समय भारत में आसानी से निशाना बना सकता है। इस क्षेत्र में छोटी झड़प/युद्ध भी हुआ है, जिसमें चीन को अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब भारत को स्त्रातजिक लाभ के साथ-साथ जीत भी हासिल हुयी है।

डोकलाम विवाद— वर्तमान विवाद का कारण चीन द्वारा सड़क निर्माण को लेकर हुआ है। चीन न इस क्षेत्र में सड़क बनाना प्रारम्भ कर दिया जिसे इस क्षेत्र में सामरिक दृष्टि में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। चीन का यह कदम इस क्षेत्र की शांति सुरक्षा और अखण्डता के लिये खतरा माना जा रहा है। क्योंकि चीन की सदैव ही विस्तारवादी नीति रही है। चीन जहा एक तरफ हिन्दी –चीनी भाई का नारा लगाता है, दूसरी ओर 1962 में आक्रमण कर भारत के पीठ में छुरा भी घोप देता है। चीन की “कही पे निगाहे कही पे निशाना” की पुरानी नीति रही है। चीन द्वारा सड़क का निर्माण चीन की रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। चीन के इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का भारत एवं भूटान द्वारा जतायी जा रही चिन्तायें वास्तविक एवं तर्कसंगत है। क्योंकि चीन की कथनी एवं करनी में सदैव भिन्नता रही है। इसका प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक उदाहरण है, नाथुला दर्रे से मानसरोवर यात्रा चीन जहाँ एक तरफ सिक्कीम रास्ते नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु समझौता करता है, तो वहीं जब मानसरोवर यात्रा प्रारम्भ होती है, तो अनावश्यक सीमा विवाद उत्पन्न कर नाथुला दर्रे से मानसरोवर यात्रा को रोक देता है। भारतीयों के धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करता है, परिणामस्वरूप मानसरोवर यात्रियों को वापस लौटना पड़ता है। मौजूदा तनाव का डोकलाम विवाद की शुरुवात चीन द्वारा इस क्षेत्र में सड़क निर्माण के प्रयासों के रूप में हुई है। 16 जून 2017 को रायल भूटान आर्मी ने डोकला के डोकलाम इलाके में सड़क बना रहे चीनी सैनिकों को रोका, इस सड़क का रुख जाग्येरी स्थिति भूटान आर्मी की ओर था।

20 जून 2017 को भूटान में नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास में इसका प्रतिरोध जताया क्योंकि भूटान का चीन के साथ कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं है। 18 जून 2017 को भारतीय सेना भी इस क्षेत्र में पहुँच गयी क्योंकि इस समझौते के तहत भूटान की सुरक्षा भी भारत के हाथों में है,⁴ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि चीन ने उस जगह सेना तैनात की जिस जगह भारत भूटान एवं तिब्बत की सीमा मिलती है।

चीन का प्रतिवाद— चीन का कहना है कि जब वह रोड़ बना रहा था तो 18 जून को 270 भारतीय सशस्त्र सैनिक दो बुलडोजर लेकर चीनी सीमा में 100 मी0 अन्दर तक घुस गये⁵ और वहाँ तीन टैन्ट गाड़ लिये, और अब भी 40 सैनिक और 1 बुलडोजर वहाँ मौजूद है। वर्तमान में एक समझौते के तहत दोनों देशों के सैनिक वापस लौट गये है। चीन ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह एक गम्भीर मामला है, और पहले से अलग है। भारत ने इस क्षेत्र में जमीन पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की है। हाल के कुछ वर्षों में भारत वहाँ लगातार सड़क बना रहा है, और मिलिट्री स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, एवं हमारे गश्ती दलों को रोकता रहा है। जबकि चीन ने ऐसा कभी नहीं किया है, डोकलाम क्षेत्र में ट्राईजक्शन की कोई बात ही नहीं है। भारत चीन-भूटान सीमा मामले में कैसे दखल दे सकता है। उसका कहना है, यह क्षेत्र चीनी सम्प्रभुता के अन्दर है, और हम सड़क बनाने के लिए स्वतन्त्र है, लेकिन भारत ऐसा करने से रोक रहा है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू-कंग ने कहा कि सिक्किम में भारत के साथ सीमा का निर्धारण 127 साल पहले क्वींग साम्राज्य और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुए सन्धि⁶

“एंग्लो-चाइनीज कन्वेंशन ऑफ 1890 पर आधारित था”। लू ने कहा कि चीन एवं भारत की सभी सरकारें ये स्वीकार करते हैं, कि सिक्किम खण्ड का सीमा निर्धारण हो चुका है। भारतीय नेता, भारत सरकार के प्रासंगिक दस्तावेज और सीमा मुद्दे पर चीन के साथ विशिष्ट प्रतिनिधियों की बैठक में भारत ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत एवं चीन सिक्किम खण्ड की सीमा निर्धारण को लेकर 1890 के समझौते के प्रति एक सा

विचार रखते हैं। भारत इस समझौते और दस्तावेज के पालन करने के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व से मुँह नहीं मोड़ सकता है। लू ने चीन के इस दावे को दोहराया की दोगलांग जिसे वे दोकलाम कहते हैं, प्राचीन समय से चीन का हिस्सा है और यह भारत के अन्दर नहीं आता है, चीन अपने दावे के पक्ष में 1890 के भारत ब्रिटिश के तात्कालीन वायसराय लार्ड लेन्सडाउन और चीन के इम्पीरीयल एसोसियेट रेजिडेंट इन तिब्बत के समझौते का आधार बना कर कह रहा है कि इस समझौते के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि "सिक्किम और तिब्बत की बीच की सीमा रेखा—सिक्किम की तीस्ता और सहायक नदियों में बहने वाले पानी को तिब्बत के मोचु और उत्तर की ओर तिब्बत की दूसरे नदियों में बहने वाले पानी को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला चोटी होगी यह रेखा भूटान की सीमा पर माउन्टगिपमोची से शुरू होती है, और ऊपर उल्लेखित जल विभाजक का अनुसरण करते हुए नेपाल की सीमा पर स्थित बिन्दु तक जाती है,

चीन का इस क्षेत्र में अपना दावा चरवाहो को जारी किये गये टैक्स रसीदो के आधार पर कर रहा है।, ल्हासा सरकार को 1960 तक चरवाहा टैक्स भर रहे थे, लेकिन भूटान और चीन इस सीमा विवाद को 2002 में दस्तखत किये गये, यथास्थिति समझौते के बाद ठन्डे बस्ते में डालने को राजी हो गये थे।

भारत की सुरक्षा चिन्तायें—डोकलाम पठार भारत एवं चीन के लिए महत्वपूर्ण है, डोकलाम में चीन द्वारा सड़क निर्माण भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर रही है, क्योंकि इससे चीन को रणनीतिक बढ़त मिल जायेगी। क्योंकि चीन अगर इस हिस्से पर सड़क बना लेता है तो भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में पहुँच बना सकता है। और यदि वह भारत के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र 20 कि०मी० तक पहुँच बना लिया तो भारत की सुरक्षा एवं अखण्डता के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो जायेगा। भारतीय सेना का यह मानना है, कि यदि चीन की पहुँच चिकन नेक⁷ तक हो गयी तो चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिये कभी भी खतरा बन सकता है।

डोकलाम विवाद का हल— एक लम्बे समय से चल रहे डोकलाम विवाद का अन्त हो गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि⁸ "हाल के हफ्तों में भारत और चीन ने कूटनीतिक बातचीत जारी रखी हैं, इस बातचीत में हमने एक—दूसरे की चिन्ताओं और हितों पर बात की है। इस बातचीत में हमने एक—दूसरे की चिन्ताओं और हितों पर बात की है। इस आधार पर डोकलाम पर जारी विवाद को लेकर हमने सीमा पर सेना हटाने का फैसला लिया है⁹। इस पर कार्यावाही शुरू हो गयी है"¹⁰।

इस विवाद का अन्त होने की वजह 3 से 5 सितम्बर तक चीन में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन को माना जा रहा है। डोकलाम विवाद चीन की गले की हड्डी बन गया था, जिसे वह न तो निगल पा रहा था, और न ही उगल पा रहा था। चीन का मानना था कि अपने बन्दरघुड़की एवं मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न कर भारत एवं भूटान को डराकर भारत को अपनी सेना हटाने को मजबूर कर देगा। चीन ने इसके लिये लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया, कभी उसने युद्ध की धमकी दी तो कभी पाकिस्तान के आग्रह पर कश्मीर में हस्तक्षेप करने का बयान दिया, तो कभी सैन्य अभ्यास का विडियो जारी किया तो कभी यह अफवाह फैलायी की वह सीमा पर युद्ध हेतु सैनिकों एवं हथियारों का जमावाड़ा कर रहा है। किन्तु भारत द्वारा किसी भी दबाव में न आने के कारण एवं लगातार सीमा पर डटे रहने एवं युद्ध के लिये तैयार रहने का बयान देने के बाद चीन की पेसानी पर बल आ गया। चीन द्वारा अपने सभी प्रयास विफल होते देख अपनी सेना हटाने के लिये मजबूर होना पड़ा। चीन यह चाह रहा था, कि सम्मानजनक तरीके से अपनी सेना को हटायें और

उस पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा था। चहुँओर उसका विरोध हो रहा था। चीन को भान नहीं था कि इस मामले को इतना तूल दिया जायेगा और भारत को विश्व के अन्य देशों के इतना अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हो जायेगा, इस मामले में अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया, भूटान सहित कई देश भारत के साथ थे। चीन को जर्मनी सहित यूरोपीय राष्ट्रों का भी भारत को समर्थन की उम्मीद नहीं थी। चीन अपनी अन्तर्राष्ट्रीय छवि को खराब होते देख परेशान हो गया। इसी के साथ 3 से 5 सितम्बर तक होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन ने उसे दबाव में ला दिया, क्योंकि अधिकांश राष्ट्रों के साथ भारत के रिश्ते मधुर हैं। तनावपूर्ण माहौल में ब्रिक्स सम्मेलन होने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

घटनाक्रम—73 दिनों तक चलें डोकलाम विवाद का हल 3 घंटे में हुआ।¹¹ मोदीजी की यात्रा से पहले 27 अगस्त की देर शाम चीन के अधिकारियों ने भारतीय राजदूत से मिलने की बात कही थी, और पूछा कि वह जल्द से जल्द कब मिल सकते हैं। भारतीय राजदूत गोखले ने कहा कि वह अभी हांगकांग में हैं और वह अगली रात से पहले नहीं पहुँच पायेंगे। क्योंकि यदि तुरन्त भी निकलेंगे तो रात तक ही पहुँच पायेंगे। चीन ने गोखले को बीजिंग पहुँचने को कहा इससे डोकलाम विवाद के हल के संकेत मिलने लगे थे। भारतीय राजदूत गोखले सुबह दो बजे चीनी विदेश अधिकारियों से मिले और उसी समय 2 से 3 घंटे की बैठक में दोनों पक्षों में डोकलाम विवाद हल करने की सहमति बनी, दोनों देशों ने डोकलाम विवाद हल करने की घोषणा कर दी।

इस प्रकार डोकलाम विवाद का पटाक्षेप हुआ, भारत को अभी भी चीन से सावधान रहना होगा क्योंकि चीन की यही नीति रही है कि **"मुँह में राम बगल में छुरी"** अर्थात् कहता कुछ है और करता है कुछ और। क्योंकि चीन अभी भी सड़क बनाने सम्बन्धी बयान दे रहा है।

सन्दर्भ एवं ग्रन्थः—

1. "Doklam standoff: China sends a warning to India over border dispute". Los Angeles Times. Associated Press. 24 July 2017.
2. Liu Lin, India-China Doklam Standoff: A Chinese Perspective The Diplomat, 27 July 2017
3. People say in Doklam, India is better placed. Why do we think Chinese could only act here? says Shyam Saran The Indian Express, August 13, 2017
4. MYERS STEVEN LEE, 'Squeezed by an India-China Standoff, Bhutan Holds Its Breath' ThenNewYork Times, AUG. 15, 2017
5. Gowen Annie, and Denyer Simon, 'China and India are dangerously close to military conflict in the Himalya' The Washington Post, august 17 2017
6. MYERS STEVEN LEE, BARRY ELLEN and FISHER MAX 'How How India and China Have Come to the Brink Over a Remote Mountain Pass' ThenNewYork Times, JULY 26, 2017
7. Ibid
8. (डोकलाम से सेना हटाने को तैयार भारत एवं चीन अगस्त 28, 2017)
9. Dutt Bharkha, India and china step back from the brink of war- but can it lost, The Washington Post, sep. 07 2017.
10. Denyer Simon and Gowen Annie, 'Who blinked in china India Military standoff? The Washington Post, Aug 30, 2017.
11. 'आखिरी 3 घंटे में कैसे सुलझा 73 तीनों का डोकलाम विवाद' अमर उजाला सितम्बर 9, 2017।

बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में गुरु का महत्त्व

डॉ० योगेन्द्र बाबू

विभागाध्यक्ष, एच०एल०एम० गर्ल्स, कालेज जिन्दलनगर हापुड

ई-मेल ybrathor1@gmail.com

डॉ० सुशील कुमार सिंह गौतम

प्रवक्ता, शिक्षा संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ०प्र०)

ई-मेल drgautam.edu@gmail.com

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरुओं को सदैव गरिमामयी स्थान प्रदान किया था। वैदिक युग में आचार्य अथवा गुरु का स्थान देवता के रूप में अत्यन्त आदरयुक्त, गरिमामय और प्रतिष्ठित था। ऋग्वेद में इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं को गुरु या आचार्य के रूप में उल्लिखित किया गया है, जो **विश्ववेदा** (सर्वज्ञ), **सत्यमन्या** (सत्य जानने वाला), **विश्वानि वायुनानि विद्वान्** (विभिन्न विद्याओं में पारंगत) जैसी अनेक विशेषताओं से अभिहित हैं। वस्तुतः ऋग्वैदिक आचार्य दिव्य और अलौकिक ज्ञान के प्रतीक थे। गुरु अपनी शिक्षा से शिष्य के अंतस में उद्दीप्त दीपक को अनावृत करके ज्ञान की किरणें फैलाता था। इसलिए वैदिक काल में गुरु की महिमा अपार थी। गुरु का दर्जा समाज में देवता के तुल्य था और वह पुरुप्रिय (लोकप्रिय) था। इसीलिए उसके लिए कहा गया था कि आचार्य देवता है। अच्छे आचार्य के संपर्क से मनुष्य को सच्चे अर्थों में ज्ञान की प्राप्ति होती थी (**आचार्य देवो भवः**)। आचार्य के व्यक्तित्व और उसके ज्ञान से ही आचार्य कुल का मान होता था। उत्तर वैदिक काल में गुरु का स्थान पिता से भी बढ़कर हो गया। अथर्ववेद में विवृत है कि वह उपनयन संस्कार के समय शिष्य को गर्भ में धारण करता था और तीन रात तक उसे अपने उदर में धारण करके पोषण करता था और चौथे दिन उसे जन्म प्रदान करता था—

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः।

तं रात्रीस्तिसु उदरे विभर्ति तं जातुं द्रष्टुमभिमंयन्ति देवाः।।¹

आचार्य की गरिमा जन्म देने वाली माँ से कम नहीं थी। विद्यादान का महत् कार्य तद्युगीन विद्वान एवं चरित्रवान ब्राह्मण सम्पन्न करते थे। ये गुरु ही तद्युगीन शैक्षिक पद्धति के प्राण तत्व थे। गुरु आदर्श नागरिकों के जनक एवं राष्ट्र के निर्माता माने जाते थे।

प्राचीन भारत के इतिहास में छठी शताब्दी ई०पू० का काल अनेकानेक परिवर्तनों का काल माना जाता है। उस समय जनजीवन की परिवर्तित आवश्यकतों की पूर्ति न कर सकने के कारण वैदिक कालीन शिक्षा में विशृंखलता के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे थे। आध्यात्मिकता विलुप्त हो गयी थी और वैदिक धर्म में कर्मकाण्ड और वाह्य आडंबर शेष रह गये थे। इसी समय **गौतम बुद्ध** (563 ई०पू०—483 ई०पू०) का आविर्भाव हुआ। गौतम बुद्ध ने शिक्षा को समयानुकूल बनाने के विचार से उसके कलेवर में परिवर्तन करके बौद्ध शिक्षा का सूत्रपात किया। बौद्ध शिक्षण पद्धति का आरंभ स्वयं गौतम बुद्ध ने किया था, जिसमें सरल और सुबोध जनभाषा में जीवन के तत्त्वों की चर्चा की थी। व्याख्यान और प्रश्नोत्तर के आधार पर विचारों का आख्यान किया गया था। उन्होंने धर्म के प्रचार में प्रासंगिक उपमा, दृष्टांत, उदाहरण, कथा आदि विधियों का समावेश किया था, जिससे उसका तत्व श्रोताओं को सरलता पूर्वक बोधगम्य होता था। बौद्ध शिक्षा पद्धति में सत्य, दार्शनिक तथ्य, तर्क, विचार विनिमय, पर्यवेक्षण, मनन आदि पर अधिक बल दिया गया। बुद्ध के पश्चात्

समाज में बौद्ध शिक्षा का क्रमशः प्रसार होने लगा। बौद्ध मठों और विहारों के माध्यम से बौद्ध शिक्षा का प्रचार भारत के विभिन्न भागों में हुआ।

महात्मा बुद्ध ने जातिगत भेदभावों से अलग सभी वर्णों में धर्म का प्रचार-प्रसार किया। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए वैदिक कर्मकाण्ड के स्थान पर ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार एवं पवित्र जीवन आदि पर अधिक बल दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धार्मिक क्रान्ति का प्रभाव भारतीय शिक्षा पर भी पड़ा। यह वैदिक शिक्षा प्रणाली से भिन्न होते हुए भी अनेक बातों में समानता रखती थी, जैसा कि डॉ० आर० के० मुखर्जी ने लिखा है, "बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिन्दू अथवा ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है।"² बुद्ध ने एक व्यावहारिक अचार-परक धर्म दर्शन को विकसित किया, साथ ही एक समुन्नत शिक्षा प्रणाली को भी जन्म दिया। जिसने कालान्तर में देशकाल को प्रभावित किया। बौद्ध चिंतन धारा इस देश की सांस्कृतिक परंपराओं में समन्वित हो गई और आज भी इस चिंतन में विश्वास रखने वाले तथा इसके अनुरूप जीवन व्यतीत करने वाले लाखों की संख्या में भारत देश एवं विश्व में विद्यमान हैं।

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनेकानेक सार्थक प्रयास किए गए थे। इसके निमित्त बौद्ध भिक्षु संघ का संगठन आश्रम पद्धति के आदर्शों पर किया गया था। बौद्ध विहार बौद्ध शिक्षा के केन्द्र थे। ब्राह्मणों के गुरुकुलों के साथ-साथ अब बौद्ध विहारों में भी अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध होने से शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ।³ बौद्ध युग में राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती तथा कपिलवस्तु आदि नगरों में कई प्रसिद्ध विहारों का निर्माण हुआ, जो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केन्द्र बन गए।⁴ राजगृह में वेणुवन, यष्टिवन, सीतावन तथा वैशाली में कूटागारशाला तथा आम्रवन, कपिलवस्तु में निग्रोधाराम और श्रावस्ती में जेतवन और पूर्वाराम इस युग के प्रसिद्ध विहार थे।⁵ बौद्ध साहित्य में भगवान भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए के दो शब्दों का प्रयोग मिलता है। 1.आराम 2. विहार। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध के निवास के लिए जो कुटी या भवन बनवाये गये उन्हें आराम कहा गया। कालान्तर में भिक्षु समूहों के निवास के लिए जो भवन बनवाये गये उन्हें विहार या संघाराम कहा गया।⁶ कौशाम्बी से भी घोषिताराम, कुक्कुटाराम एवं बदरिकाराम नामक विहारों के साक्ष्य मिले हैं।⁷

इन विहारों एवं संघारामों में आध्यात्मिक चिंतन होता था। यहाँ के आचार्य अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान के सागर में अवगाहन कराते थे। बुद्ध के समय में बौद्ध विहारों के भिक्षुओं को सारिपुत्त, महामोग्गालान, महाकच्चायन, महाकप्पिन, अनुरुद्ध, रेवत, उपालि, आनन्द तथा राहुल आदि प्रमुख थेरों के प्रवचनों को श्रवण करने तथा उनसे वार्तालाप कर अपने को कृतार्थ करने का मौका मिलता रहता था। यद्यपि ये भ्रमणशील रहते थे, परन्तु जिस विहार में कुछ दिन रुक जाते थे, वहाँ भिक्षुओं को विचार-विमर्श कर शंका समाधान के अवसर प्राप्त हो जाते थे। इन विहारों में भिक्षुओं को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ-साथ लौकिक विषयों तथा शिल्पों की शिक्षा प्रदान करने की भी व्यवस्था की गयी थी।⁸

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में आचार्य को अत्यंत आदर एवं सम्मान प्रदान किया गया था। आचार्य को यह सम्मान देना स्वाभाविक ही था, क्योंकि विद्यालय के भवन एवं साज-सज्जा का छात्र पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता था, जितना कि एक योग्य एवं सदाचारी आचार्य का, जो उन्हें उपदेश एवं प्रेरणा देते थे। बौद्ध युग में जिस प्रकार विद्यार्थी में विनय की अपेक्षा की जाती थी, उसी प्रकार आचार्य में विद्वता, श्रेष्ठ चरित्र एवं स्नेह वांछनीय था। शिष्य के प्रति गुरु के अनेक कर्तव्य थे-गुरु का प्रमुख कर्तव्य था कि वह अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश में लाए। गुरु विद्यार्थियों से कोई भी विद्या गोपनीय नहीं

रखता था।⁹ शिष्य के दुर्गणों का उत्तरदायित्व गुरु को माना जाता था। अतः शिष्य के नैतिक आचरण पर गुरु की दृष्टि और नियंत्रण आवश्यक था। इत्सिंग ने लिखा है कि उस आचार्य से कसाई अच्छा है जो दीक्षित होने के बाद शिष्य को अशिक्षित रहने दे।¹⁰ पुनः इत्सिंग ने लिखा है कि— जो गुरु अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं वे ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करते हैं, अतः निश्चित ही वे नरक के भागी होते हैं। अध्यापक में वक्तृत्व शक्ति, तर्क शक्ति और कठिन विषयों को समझने की क्षमता अपेक्षित थी। महावग्ग, दिव्यावदान तथा मिलिन्दपन्हों में आचार्यों के गुणों को बताया गया है। बुद्ध ने कहा था कि उपाध्याय सविहारिक को पुत्रवत् तथा विद्यार्थी अपने गुरु को पितातुल्य समझे। ये दोनों एक दूसरे का आदर, विश्वास तथा सामान्य जीवन ध्येय द्वारा धर्म और विनय में पूर्ण तथा प्रगति कर उच्च श्रेणी पर पहुँच सकेंगे। दिव्यावदान के अनुसार शिक्षा अथवा लोक संवृत्ति के लिए शिष्य गुरु के पास जाता था और दोनों ही अपने-अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते थे। मिलिन्दपन्हों के अनुसार शिक्षक में निम्नवत् गुण होने चाहिए¹¹—

- (1) उसे सदैव और निःसंकोच शिष्य की रक्षा का भार लेना चाहिए (सततं समितं आरक्खा उपवृपेतब्बा) ।
- (2) उसे शिष्य को बता देना चाहिए कि किसका सेवन करें और किसका निषेध करें (असेवन सेवना जानितब्बा) ।
- (3) शिष्य किसमें आसक्त हों, किसका परित्याग करें यह बताना चाहिए (पमत्ता प्पमत्ता जानितब्बा) ।
- (4) शयन, स्वास्थ्य और भोजन ग्रहण के सम्बन्ध में पूर्ण आदेश दे (सेय्या वकसो जानितब्बो, गेलञ्ज जानितब्बं भोजनं लद्धा, लद्धं जानितब्बं) ।
- (5) शिष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान कराये (विसेसो जानितब्बो) ।
- (6) भिक्षुपात्र में जो मिले, वह शिष्य के साथ बाँटे (पत्तगतं संविभगितब्ब) ।
- (7) उसे अभयभीत होने का आदेश दे (मा भयि) ।
- (8) उसे अपनी शिक्षा का ध्येय बतावें (अत्थो ते अभिक्कमतीति) ।
- (9) शिष्य किन-किन के साथ रहें यह बताना चाहिए (इमिना पुग्गलेन पटिचरतीति पटिचारो जानितब्बो) ।
- (10) शिष्य कौन-कौन से ग्राम और विहारों में जाए यह बता देना चाहिए (ग्रामे पटिचारो जानितब्बो विहारे पटिचारो जानितब्बो) ।
- (11) गुरु, शिष्य के साथ हसी-मजाक न करें (न तेन हासो वारी कातब्बो) ।
- (12) गुरु, शिष्य के साथ आलाप करें (तेन सह आलापो कातब्बो) ।
- (13) यदि शिष्य में कोई दोष दिखाई पड़े, तो उसे क्षमा करे (छिद्दं दिस्वा अधिवासतब्बं) ।
- (14) शिक्षक में उत्साह हो (सक्कच्चकारिना भवितब्बं) ।
- (15) वह खंडित शिक्षा कभी न दे (अखण्डकारिना भवितब्बं) ।
- (16) वह अधूरा पाठ न पढ़ावे (अखण्डकारिना भवितब्बं) ।
- (17) वह शिष्य से कुछ न छिपावे (निखसेसकारिना भवितब्बं) ।
- (18) शिष्य को पुत्रवत् समझे (जनेभिमं सिप्पेसूति) ।
- (19) शिष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करे (बद्धिच्चित्तं उपवृपेतब्बं) ।
- (20) शिष्य को पीछे हटने से रोके (न परिहायेत्याति) ।
- (21) शिष्य को बल प्रदान करे (सिक्खावलेनाति) ।
- (22) शिष्य को स्नेह दृष्टि से देखे (मेत्तं चित्तं उपवृपेतब्बं) ।
- (23) आपदा में उसका त्याग न करे (आपदासुन विजहितब्बं) ।

(24) उसकी ओर से ध्यान न हटावे (करणीये न पमिज्जतब्ब)।

(25) धर्माचरण के साथ जहाँ तक हो सके चले (खलिते धम्मणेन पग्ग हेतब्बोति)।

इस प्रकार बौद्ध शिक्षा पद्धति के अनुसार वही व्यक्ति शिक्षक हो सकता था जिसने चार आर्य सत्यों को समझ लिया हो तथा जिसका स्वयं का जीवन बुद्ध द्वारा प्रदर्शित आष्टांग मार्ग के अनुरूप व्यतीत हुआ हो।

बौद्ध शिक्षा पद्धति का प्रारम्भ बौद्ध भिक्षु बनने से होता था। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए प्रबज्जा और उपसंपदा की दीक्षा लेना अनिवार्य होता था। आरंभ में प्रबज्जा और उपसंपदा की दीक्षाएं एक साथ दी जाती थी। इन दीक्षाओं के लिए किसी व्यक्ति की वय क्या हो इसका कोई नियम न था, बाद में नियम बनाया गया कि प्रबज्जा¹² की दीक्षा 15 वर्ष की वय में दी जाए और उसके पांच वर्ष पश्चात् 20 वर्ष की वय में उपसंपदा¹³ की। प्रबज्जा की दीक्षा के साथ भिक्षु जीवन का श्रीगणेश होता था और व्यक्ति पूर्ण रूप से भिक्षु तब हो जाता था जब उसे उपसंपदा की दीक्षा मिल जाती थी। इन दोनों दीक्षाओं के मध्य की अवधि परीक्षा काल थी, जिसमें अन्तेवासी भिक्षु अर्थात् श्रामणेर पूर्ण भिक्षु पद को प्राप्त करने की तैयारी करता था।¹⁴ प्रबज्जा का अर्थ होता है—अग्रसर होना, अर्थात् गृहस्थ—जीवन का परित्याग कर अरण्यवासी बनाना। पालि शब्द प्रबज्जा (प्रबज्जा) से गृहस्थ के भिक्षु जीवन प्रवेश का बोध होता है। प्रबज्जा दीक्षोपरान्त श्रामणेर पूर्ण भिक्षु पद पर प्रतिष्ठित होने के उद्देश्य से एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में साधना करता था।¹⁵ आध्यात्मिक गुरु के लिए 'उपज्जाय' शब्द मिलता है जो संस्कृत उपाध्याय का रूपान्तर है। पालि भाषा में उपज्जाय का अर्थ है—जो निकट चला गया हो। भिक्षु—संघ में उपज्जाय का वही स्थान था जो गुरुकुलों में आचार्य का। मनु ने गुरुओं की कई श्रेणियाँ बताई हैं। उनके अनुसार जो ब्राह्मण वेद के एक देश (मंत्र तथा ब्राह्मण भाग) को तथा वेदांगों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंदशास्त्र) को जीविका के लिए पढ़ाता था, वह उपाध्याय कहलाता था (एक देश तु वेदस्य वेदांगन्यपि वा पुनः। योऽध्यापयति वृत्यर्थमुपाध्यायः स उच्चते।।)¹⁶ इस प्रकार 'उपाध्याय' वे शिक्षक कहलाते थे जो वेद का कुछ ही भाग पढ़ाते थे और शुल्क लेते थे (यस्त्वेनथल्पेनाध्यापयेत् तमुपाध्यायमेकादेशं वा)।¹⁷ अपने शिष्यों से जो दक्षिणा, उपहार, द्रव्य और धन ग्रहण करके अपने परिवार का पोषण करता था वह 'उपाध्याय' था। इस प्रकार मनुस्मृति¹⁸ के अनुसार पेशेवर शिक्षक का कर्म करने वाला उपाध्याय कहलाता है। उपज्जाय और आचार्य का पद उपाध्याय से उच्चतर था, क्योंकि गुरु को आचार्य इसलिए कहा जाता था कि वह अपने शिष्यों को आचार या चरित्र की शिक्षा प्रदान करता था (आचार्यः कस्मात्। आचार्य आचारं ग्रहयति)।¹⁹ किन्तु बौद्ध संघ में आध्यात्मिक गुरु को उपज्जाय कहा गया है और शिक्षक को आचरिय, अर्थात् आचार्य। आचरियघ²⁰ और आचारियभाग²¹ के उल्लेख भी यह प्रमाणित करते हैं कि शिक्षा द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले को पालि में आचरिय की संज्ञा दी गयी। इससे प्रतीत होता है कि बौद्ध काल में वैदिक काल के समान आचार्य एवं उपाध्याय में बहुत अंतर नहीं रह गया था। बुद्धघोष के अनुसार भिक्षु—संघ में उपज्जाय के पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए दस वर्षों के भिक्षु—जीवन के अनुभव की आवश्यकता पड़ती थी, पर आचार्य पद के लिए मात्र 6 वर्षों की।²²

पालि—पिटक में शिष्य (श्रामणेर) को सद्धिविहारिक कहा गया है। वैदिक वाङ्मय में सद्धिघ्न का अर्थ होता है एक लक्ष्य की ओर, और पालि में सद्धि का अर्थ है एक साथ। विहारिका का अर्थ होता है—वास करना। पालि शब्दकोष में सद्धिविहारिक का अर्थ दिया गया है—सहवासी, बन्धु—भिक्षु या शिष्य।²³ श्रामणेर के अपने उपज्जाय संग वास करते हुए

पूर्ण भिक्षु पद प्राप्ति हेतु यत्नशील रहने के कारण ही वस्तुतः उसे सिद्धविहारिक नाम दिया गया। उसके गुरु संग निवास की व्यवस्था एक निश्चित उद्देश्य की अग्रसर होने के लिए की गयी थी। उपज्झाय तथा सिद्धविहारिक के आध्यात्मिक हित के लिए पारस्परिक सहयोग की कल्पना की गयी।

प्राचीन भारत में आध्यात्मिक गुरु का बड़ा महत्व था। भारतीय संस्कृति की परम्परा में ज्ञानार्जन के लिए गुरु की सेवा की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। गुरुकुलों के समान ही बौद्ध भिक्षु संघ में गुरु-शिष्य परम्परा के निर्वाह की पूर्ण चेष्टा की गयी। गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का आचरण करने के लिए भिक्षुओं को प्रेरित किया जाता था। विनय पिटक के अनुसार यदि भिक्षु अल्पवय होने पर भी यदि उस समय विनय पर प्रवचन दे रहा हो, तो उस समय वरिष्ठ भिक्षुओं को धर्म का सम्मान करते हुए निम्न आसन ग्रहण करना चाहिए।²⁴ गुरुजनों को सदा उच्चासन दिए जाते थे, परन्तु वय में तीन वर्षों के अन्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता था और इस वर्ग के सभी भिक्षु समान आसन पर बैठते थे।²⁵

गुरु के उत्तरदायित्व के अनूकूल ही उसकी योग्यता होनी चाहिए थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु की योग्यता पर विशेष ध्यान दिया गया था। बौद्ध ग्रन्थ महावग्ग में गुरु की योग्यता का विवरण देते हुए कहा गया है कि, "वही भिक्षु शिक्षक के लिए उपयुक्त था जो कम से कम 10 वर्ष तक भिक्षु रह चुका हो, साथ ही उसे शुद्ध आचरण, पवित्र विचार विनम्रता आदि गुणों से विभूषित रहना चाहिए।"²⁶ इतना ही नहीं उसकी मानसिक क्षमता भी काफी उच्च होनी चाहिए जिससे कि वह शिष्य को धम्म एवं विनय की पूर्ण शिक्षा दे सके और मिथ्या धार्मिक धारणाओं के विरोध में सफलतापूर्वक वाद-विवाद कर सके। बौद्ध संघ गुरु के कर्तव्य भी निर्धारित करता था। छात्र का पूर्ण उत्तरदायित्व गुरु पर ही होता था तथा उसके लिए यह आवश्यक था कि वह शिष्य को पुत्र के समान ही समझे। गुरु जिसे बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति में 'उपज्झाय' कहा जाता था वह अपने शिष्य को स्नेहपूर्वक शिक्षा प्रदान करता था। यदि शिष्य को दैनिक कार्यों के अंतर्गत किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती थी तब गुरु उसका प्रबंध करता था। इस प्रकार गुरु ही शिष्य के लिए भिक्षाटन का पात्र, वस्त्र एवं अन्य किसी आवश्यक वस्तु की कमी को पूर्ण करता था और शिष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी पर था। शिष्य के मानसिक विकास की दृष्टि से गुरु प्रश्नोत्तर, व्याख्या एवं इसी प्रकार की अन्य विभिन्न रीतियों द्वारा शिष्य के मानस-जगत को उद्भासित करते थे, ताकि वह सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण का अधिकारी बन सके। शिष्य के बीमार पड़ने पर गुरु उसकी परिचर्या में पूर्ण ध्यान देता था और जब तक वह पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाता था, गुरु उसकी सेवा करता था। गुरु को शिष्य के नैतिक एवं चारित्रिक विकास का समुचित ध्यान रखना पड़ता था।

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में आधुनिक शिक्षा का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, जिसमें एक आचार्य के अधीनस्थ अनेक उपाध्याय और प्रत्येक उपाध्याय के पास छात्रों का एक छोटा सा समूह अध्ययन करता था। अध्यापकों के पारस्परिक संबंधों को स्नेहपूर्ण बनाये रखने के लिए आचार्य कुछ नियम निर्धारित करते थे, जो शास्त्र सम्मत होते थे। इस प्रकार उपाध्याय का कार्य अध्ययन अध्यापन करना था, तो आचार्य का कार्य न केवल छात्रों में अनुशासन बनाये रखना था, अपितु उसका दायित्व शिक्षकों के बीच अनुशासन कायम करने का भी था। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा पद्धति में गुरु को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। गुरु की सार्थकता ज्ञान प्रदान करने में थी। यह कार्य वह उसी प्रकार करता था जिस प्रकार बिना अपेक्षा

किये सूर्य प्रकाश प्रदान करता है। बौद्ध गुरु से यह आशा की जाती थी कि वह उत्तम सत्याचरणवाला एवं आदर्श चरित्र हो, क्योंकि विद्यार्थी गुरु के आचरण का ही अनुशीलन और अनुगमन किया करते थे। गुरु के लिए यह अनिवार्य माना जाता था कि वह शास्त्र युक्त वाणी का प्रवक्ता हो। गुरु श्रेष्ठ प्रवचन देने वाला हो, स्पष्ट व्याख्या करने वाला हो एवं विद्यार्थी की प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान करने वाला हो।

संदर्भ

- 1.अथर्ववेद,1.5.3, (अंग्रेजी अनुवाद) ग्रिफिथ, आर० टी० एच०; हाइम्स ऑव अथर्ववेद, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 1968।
- 2.मुखर्जी, आर०के०; एश्यंट इण्डियन एजुकेशन,दिल्ली,1960,पृष्ठ 374।
- 3.तिवारी,राकेशचन्द्र; बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ (शोध प्रबंध), इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद,1990,पृष्ठ 187।
- 4.सिंह,मदनमोहन; बुद्ध कालीन समाज और धर्म,दिल्ली,1993, पृष्ठ 90।
- 5.मुखर्जी,आर०के०; पूर्वोद्धृत,पृष्ठ 443।
- 6.उपाध्याय,वासुदेव; प्राचीन भारतीय स्तूप, गुहा एवं मंदिर,पटना, पृष्ठ 197।
- 7.गौतम,सुशील कुमार; गंगा-यमुना के निचले दोआब के नगरीय केंद्र (शोधप्रबंध), इलाहाबाद विश्वविद्यालय,इलाहाबाद,2007,पृष्ठ 155।
- 8.सिंह,मदनमोहन;पूर्वोद्धृत,पृष्ठ 91।
- 9.मिलिन्दपन्हों,भाग-1,(संपादक) बी० ट्रेकनर,लंदन, पृष्ठ 142।
- 10.इत्सिंग,ए रिकार्ड ऑव दि बुद्धि रिलीजन एज प्रेक्टाइज्ड इन इण्डिया एण्ड दि मलय आर्किपिलैगो, (वसु का अंग्रेजी अनुवाद)-बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस इन इण्डिया, लंदन ,1996, पृष्ठ 116।
- 11.पुरी, बैजनाथ; भारतीय संस्कृति के मूल तथ्य ,लखनऊ, 1996, पृष्ठ 50।
- 12.सिंह,मदन मोहन;पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 169।
- 13.मनुस्मृति, 2.141. (टीकाकार) राम निहोर पाण्डेय; प्राच्य विद्या संस्थान, इलाहाबाद, 2006.
- 14.अंगुत्तर निकाय, 5. 347।
- 15.सिंह, मदन मोहन; पूर्वोद्धृत,पृष्ठ 169।
- 16.मनुस्मृति, 2.141, पूर्वोद्धृत।
- 17.विष्णुधर्मसूत्र, 29.2।
- 18.मनुस्मृति, 2.141, पूर्वोद्धृत।
- 19.निरुक्त, 1.4।
- 20.संयुक्त निकाय,1,177।
- 21.जातक,5.457।
- 22.महावस्तु टीका,5.4.2।
- 23.सिंह,मदन मोहन; पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 170।
- 24.चुल्लवग्ग,6.13.1।
- 25.चुल्लवग्ग,6.13.2।
- 26.महावग्ग,5.4.2।

भारतीय पुनर्जागरण में पत्रकारिता

विनय मोहन

एम0ए0 हिन्दी, नैट-जे0आर0एफ0,
शोध छात्र, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

परिचय—

भारत में पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। अंग्रेजों के आने से पहले यहां पत्रकारिता जनसंचार का माध्यम नहीं थी। भारत में अंग्रेजों के प्रवेश का समय 1815 माना जाता है, जब गोरखों का शासन अंत की ओर अग्रसर था। जिस वर्ष यूरोप के इतिहास में नेपोलियन का आगमन हुआ था, हिमालय के इतिहास में वह समय गोरखों का कुमाऊं पर अधिकार तथा चंद शासन के अवसान का समय था। हिमालय का बहुआयामी आकर्षण, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां ले आया। हिमालय में उनके आकर्षण की वजह जहां एक ओर ईसाईयत का फैलाव था, तो दूसरी ओर इंग्लैण्ड के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का होना था। गढ़वाल और कुमाऊं में अंग्रेजी शासन की जड़ें जम जाने के बाद अंग्रेजी हुकमरानों ने सबसे पहले जनमानस के दिलों को जीतने की कोशिश की। शासन व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किये। लेकिन इसमें भी दलित समुदाय उपेक्षित ही बने रहे।

अध्ययन का उद्देश्य—

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भारतीय पुनर्जागरण में पत्रकारिता के समय पत्रकारिता का क्या योगदान रहा इस विषय को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए यह विषय चुना गया है और शोध कार्य किया गया है।

इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि भारत में पुनर्जागरण की लहरों ने भारतीय समाज को न केवल एक दिशा दी अपितु पराधीनता जैसी व्यवस्था को भी जड़ से उखाड़ने पर प्रेरित किया। इसका सर्वाधिक श्रेय हिन्दी पत्रकारिता को ही जाता है। तात्कालीन आंचलिक समाचार पत्रों ने भाषा साहित्य, इतिहास बोध, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के विकास में अहम योगदान दिया। प्रत्यक्ष रूप से 1842 में एक अंग्रेज व्यवसायी और समाजसेवी जान मैकिनन ने उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र 'द हिल्स' का मसूरी से प्रकाशन शुरू किया। इस अखबार का प्रिंटिंग प्रेस सेमिनर स्कूल के परिसर में था। इस समाचार पत्र में यहां की समस्याओं और खबरों के छपने के बजाए इंग्लैंड और आयरलैंड के आपसी झगड़ों की खबरें भरी रहती थी। सात-आठ साल तक चलने के बाद यह अखबार बंद हो गया। इसके बाद 1870 में 'मसूरी एक्सचेंज', 1872 में 'मसूरी सीजन' 1875 में 'मसूरी क्रॉनिकल' और 'बेकन' तथा 'ईगल' समाचार पत्र भी आये जो थोड़े ही समय बाद बन्द हो गये। इनमें से किसी भी समाचार पत्र ने इस क्षेत्र की खबरों को तवज्जो नहीं दी। इस दौर की शुरुआती पत्रकारिता को भारत की पत्रकारिता भले ही न कहा जाय लेकिन इतना जरूर है कि पत्रकारिता का ककहरा तो इन्हीं अंग्रेजी पत्रों से शुरू हुआ। जिनके प्रकाशक से लेकर सम्पादक और संवाददाता तक स्वयं अंग्रेज ही थे।

वर्ण व्यवस्था में समाज आज के मुकाबले ज्यादा जकड़ा हुआ था। सर्वत्र ब्राहमणों का वर्चस्व था, दूसरे नम्बर पर क्षत्रिय थे। कवि, साहित्यकार, पत्रकार, अधिकारी, पदवीधारी और स्वाधीनता संग्राम की अगुवाई करने वाले इन्हीं के बीच से हुए थे। भारत में जितने भी आंदोलन हुए, उनमें उनकी अगुआई प्रमुख रही। जितने भी संगठन और संस्थाएं अस्तित्व

मे आये, सभी इनके द्वारा संचालित रहे जितने भी अखबार निकले, सब इनके द्वारा ही सम्पादित रहे। इनके बीच भी छोटे-बड़े की लड़ाई और प्रतिस्पर्धा रही। मीडिया में दलित समाज के सवाल हमेशा ही गौण रहे। इसका एक नहीं, अनेक कारण हैं। पहला तो यह कि अखबार निकालने और चलाने वाले ज्यादातर संपादक सवर्ण रहे हैं। दूसरा यह कि तत्कालीन समाज में व्याप्त जातीय भेद से संपादक भी अछूते नहीं थे। जिस कारण वे अपने पत्रों में दलितों के मुद्दे पर खबरें नहीं छापते थे। इस तरह से देखा जाय तो उस दौर में मीडिया के भीतर दलितों की आवाज उठाने का कोई जरिया नहीं था।

ऐसा नहीं है कि दलित वर्ग जानबूझकर समाज की मुख्यधारा से अलग-थलग रहा, बल्कि वे चाहते हुए भी समाज की मुख्यधारा में जगह नहीं बना पाया। और वर्ण व्यवस्था के जाल में ही उलझा रहा। पर्वतीय क्षेत्रों में तो आज भी पत्रकारिता शब्द एक अनभिज्ञ परिकल्पना है, जिसे लोग टीवी और अखबार के जरिये चलने वाला धंधा भर समझते हैं। इन क्षेत्रों के पिछड़ी जातियों और दलित वर्ग की पीड़ा यह है कि मीडिया में वे कभी भी जगह नहीं बना पाये। आज भी हालात कुछ बदले नहीं हैं। बाजार की ताकतों से संचालित मीडिया के लिए दलित तब तक हॉट टॉपिक नहीं है जब तक दलितों से जुड़ी कोई आपराधिक घटना नहीं होती है। दलितों में चेतना के विकास और उनकी स्थिति बेहतर करने में मीडिया की बड़ी भूमिका हो सकती है।

देश में जहां हिन्दी पत्रकारिता का वर्चस्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, वहां भी दलित सबसे पीछे खड़े दिखाई देते हैं। दरअसल हिन्दी पत्रकारिता का अधिकांश समाज, भारतीय समाज को पढ़ने के लिए अपनी आंखों पर वर्गवादी चश्मा लगाता है। उसकी वर्गवादी व्याख्या करता है। लेकिन खुद को वर्गवाद से बाहर नहीं निकाल पाता है। पत्रकारिता की यही अदृश्य वर्गवादी भूमिका दलितों के मन में हिन्दी मीडिया के प्रति गुस्सा पैदा करती है। उत्तराखंड के विषय में भी दलित पत्रकारिता इस दाग से नहीं बच सकी है। स्थिति यह है कि वाल्मीकि जयंती, अंबेडकर जयंती के अलावा दलित समुदाय के विषय में तभी कोई खबर पढ़ने को मिलेगी जब उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार होगा। बाजार के हिसाब से उस खबर का महत्व भी होगा।

आजादी के बाद की पत्रकारिता लेखन भारतीय समाज को सिर्फ जातीयता की दृष्टि से ही देखती रही। वर्ण व्यवस्था में बंटे भारतीय समाज में पत्रकारों ने इसे समग्र समाज के रूप में देखने के बजाय वर्णव्यवस्था के चश्मे से देखना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पत्रकारिता सवर्णों के द्वारा, सवर्णों के लिए तक सीमित होकर रह गयी। इसी सोच का परिणाम है कि पत्रकारिता और लेखन के काम में दलित पीछे छूटते चले गये। वर्ण और वर्ग के बीच का जो संबंध है, इस पर सोचना आज पत्रकारिता और लेखन के लिए जरूरी हो गया है।

भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या में प्रतिशत क्रमशः 16 और 8 है, लेकिन मीडिया के उच्च पदों पर अधिकारियों के मामले में इनका प्रतिशत 0 है। जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मात्र सोलह प्रतिशत जनसंख्या का इस मीडिया की उच्च पदों पर आसीन होने का प्रतिशत 85 है जो निःसंदेह ही मीडिया में जातिवाद की गहरी जड़ों की ओर इशारा करता है।

मीडिया में आज भी दलित समुदाय के प्रति कुछ खास रुझान नहीं है। अपने सामाजिक दायित्व ही नहीं अपितु अपने कर्तव्य के अनुसार भी मीडिया को इस बात का भलीभांति अंदाजा होना चाहिए कि दलितों के प्रति उसकी जिम्मेदारियां अन्य वर्गों से कहीं ज्यादा हैं। पत्रकार अनिल चमडिया के अनुसार उत्तर भारत में मीडिया संस्थानों में कुछ

दलित तो हैं, लेकिन वे अपनी दलित पहचान के साथ नहीं हैं। वे अपने नाम के साथ जातिसूचक शब्द उस तरह से नहीं लिख सकते, जिस तरह से सवर्ण वर्ग के पत्रकार लिखते हैं। वे लगभग उसी स्थिति में दिखाई देते हैं जैसे बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने खुद को दलित होने से बचाने के लिए खां शब्द अपने नाम के साथ जोड़ लिया था।

मीडिया संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, और आधुनिक लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के संस्थानों का ढांचा भी पुरातन स्थितियों में जकड़ा हुआ है। मीडिया में कभी धार्मिक, कभी अभिजात्य तो कभी लैंगिक पूर्वाग्रह उभरकर सतह पर आते रहते हैं। भारतीय समाज, जाति आधारित व्यवस्था पर विकसित हुआ है। धर्म को बचाये रखने के लिए भी इसी को आधार बनाया जाता है। भारतीय मीडिया के एक बड़े हिस्से में सांप्रदायिकता, लैंगिक और जातिगत पूर्वाग्रह एक साथ देखे जाते हैं।

दलितों के सवाल पर मीडिया का चरित्र हमेशा वर्गीय रहा है चाहे वह स्थानीय मीडिया हो या राष्ट्रीय। घटनाओं पर आधारित कुछ खबरों और स्तंभकारों द्वारा लिखे गये लेखों को छोड़कर दलित समाज मीडिया में कोई जगह नहीं बना पाया है। आबादी का लगभग 20 प्रतिशत होने के बावजूद दलित मीडिया 5 प्रतिशत स्थान भी नहीं बना पाये हैं। वर्तमान में मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से में उच्च वर्ग का कब्जा है। उच्च वर्ग के साथ होने वाली छोटी-मोटी घटनाएं भी मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं जबकि दलित वर्ग के साथ होने वाली बड़ी-बड़ी घटनाएं भी सूचनात्मक खबरों के रूप में सिमटा दी जाती है।

मीडिया को अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है तो सिर्फ इसलिए कि यह लोकतंत्र को स्वस्थ ही नहीं अपितु जनता को भी लोकतंत्र के अनुरूप ढालने के लिए प्रयासरत रहता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार देश में नागरिकों को समानता के अवसर के लिए दिया गया है, लेकिन कानून के समक्ष समानता का अर्थ जनता केवल कचहरी के समक्ष समानता से लगाती है। लोग सामाजिक समानता को स्वीकार करने से डरते हैं या फिर अपनी परम्परा या खोखले आडम्बरों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं।

दलितों के सवाल पर मीडिया हमेशा ही उदासीन रहा है। राष्ट्रीय फलक पर देखें या किसी राज्य में मीडिया ने आबादी का एक बड़ा भाग होने के बावजूद दलित मुद्दों के साथ न्याय नहीं किया है। भारत राज्य इसका अपवाद नहीं है। जातीय आधार पर समाचारों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि दलित समुदाय के बारे में सबसे कम खबरें लिखी जाती हैं। इसका एक पक्ष यह भी है कि दलित मुद्दों को लेकर पत्रकारों में संवेदनशीलता की कमी है। इसके कई कारण हैं पहला यह कि अधिकांश पत्रकार सवर्ण जाति के हैं, जो कहीं न कहीं अपनी जाति की सीमाओं में बंधे होते हैं और दलितों के प्रति उनके जातीय दुराग्रह होते हैं। दूसरा यह कि दलितों के साथ परम्परागत रूप से भेदभाव व ऊंचनीच की भावना व्याप्त है। पत्रकार भी उनसे अछूते नहीं रहते हैं। तीसरा यह है सवर्ण जातियों के पत्रकार दलितों की जीवन शैली और उनकी समस्याओं को ठीक से समझ नहीं पाते जिस कारण मीडिया में उसकी सही तस्वीर नहीं आ पाती।

निष्कर्ष—

पत्रकारिता में दलितों की खराब स्थिति का एक पहलू यह भी है कि यहां दलित पत्रकारों की संख्या नगण्य है। जो लोग काम कर भी रहे हैं उन्हें संवाददाता से ऊपर का पद प्राप्त नहीं है। भारत में अमर उजाला सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अखबार है। राजधानी देहरादून में भी अमर उजाला ही सर्वाधिक प्रकाशित-प्रसारित होता है। बावजूद इसके यह समाचार पत्र भी दलितों के प्रति संवेदनशील नहीं है। इस समाचार पत्र में कभी

कभार ही दलितों से जुड़े समाचार प्रकाशित होते हैं। यहां भी प्रस्तुतीकरण एक बड़ा मुद्दा है। यदि दलितों से संबधित कोई घटना या हार्ड न्यूज हो तो भी उसे बड़े फीके ढंग से पेश किया जाता है। देहरादून के समीप ही जौनसार भावर जहां प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी रहती है। बावजूद इसके इन दोनों क्षेत्रों में दलितों के सवालों को उठाने वाले पत्रकारों और संवाददाताओं की खासी कमी है।

सन्दर्भ एवं ग्रन्थ—

1. शक्तिप्रसाद सकलानी, उत्तराखंड मे पत्रकारिता का इतिहास, पृष्ठ संख्या 27
2. सकलानी, शक्तिप्रसाद उत्तराखंड मे पत्रकारिता का इतिहास, पृष्ठ संख्या 34
3. सकलानी, शक्तिप्रसाद उत्तराखंड मे पत्रकारिता का इतिहास, पृष्ठ संख्या 40
4. गिर, मित्र और हरीश चन्द्र, मीडिया और दलित, गौतम बुक सेंटर पृष्ठ संख्या 98
5. गिर, मित्र और हरीश चन्द्र, मीडिया और दलित, गौतम बुक सेंटर, पृष्ठ संख्या 99
6. अनिल चमड़िया, मीडिया और दलित, पृष्ठ संख्या 112
7. भट्ट, प्रवीन कुमार, ग्रामीण क्षेत्रों की दलित समाज की समस्यायें, नई दुनिया
8. चमड़िया, अनिल, राष्ट्रीय सहारा, 6 मई 2010
9. शुक्ल, शंभूनाथ, अमर उजाला, 7 मार्च 2010
10. अमर उजाला, 24 मई 2002
11. कुमार, संजय, मीडिया और दलित, पृष्ठ संख्या 55
12. कुमार, संजय, मीडिया और दलित, पृष्ठ संख्या 56
13. कुमार, संजय मीडिया और दलित, मीडिया में दलित नहीं, पृष्ठ संख्या 54
14. सिंह, सुरेन्द्र प्रताप, मीडिया और दलित, पृष्ठ संख्या 46
15. राजकिशोर, मीडिया और दलित
16. बेचैन, श्यौराज सिंह, पत्रकारिता में दलित पृष्ठ संख्या 159

श्लेश अलंकार व काव्य में इसकी महत्ता

Dr. Poonam

Department of Hindi

Ch. Bansi Lal Govt. College, Loharu, Bhiwani

कहानी और उपन्यास के इस दौर में भारतीय काव्यशास्त्र की उपेक्षा होने लगी है। भारतीय काव्यशास्त्र को समझने के लिये संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता स्वाभाविक है। वर्तमान समय में कहानी और उपन्यास के अध्येता संस्कृत ज्ञान से बचना चाहते हैं। यही कारण है कि काव्यशास्त्र जटिल लगने लगता है। इस दुरुहता को दूर करने के लिये हमें पुनः काव्यशास्त्र को नये रूप से समझने उसे रोचक तथा सरस बनाने की आवश्यकता है। सरलता और 'शार्टकट' के युग में काव्यशास्त्र को पढ़ने और समझने में जो परिश्रम करना पड़ता है उसके लिये हम सरलता से तैयार नहीं होते हैं। कहाँ कहानी और उपन्यास की सरलता और कहाँ काव्य का सबसे कठिन श्लेश काव्य रूप। दोनों में संगति नहीं बैठती है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं। कि रस, छन्द और अलंकारों का प्रयोग करके ही विद्वान् आचार्यों ने हिन्दी साहित्य समृद्ध और विस्तृत बनाया है। वांगमय के शास्त्र और काव्य दो महत्वपूर्ण अंग हैं। काव्य ज्ञान के लिए शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। जिस प्रकार बिना दीपक के पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शास्त्र-ज्ञान के बिना काव्य ज्ञान असम्भव प्रतीत होता है। भारतीय काव्यशास्त्र विशिष्ट होने के साथ-साथ दुर्बोध और जटिल भी है। वर्तमान समय में भारतीय काव्यशास्त्र में नवनवोन्मेशिनी प्रतिभा का पलायन दिखाई दे रहा है। काव्यशास्त्र सम्बन्धी समृद्ध परम्परा का हास होता जा रहा है। अपनी जटिलता एवं दुरुहता के कारण भी काव्यशास्त्र दुर्बोध बनता जा रहा है। साहित्य की आलोचना का आरम्भ साहित्य के उदय के साथ ही हो जाता है। आज के बौद्धिक युग में काव्य की आलोचना नितानत आवश्यक है। काव्य आज के जीवन का अभिन्न अंग है काव्य विभिन्न जीवन-मूल्यों का भी संकेत करता है। जीवन के लिये काव्य में प्रेरणा है या नहीं, काव्य लोकमंगल है या नहीं, इसके परीक्षण के लिये काव्य-शास्त्र का उदय होता है। मानव समाज सौंदर्योपासक है, उसकी इस प्रवृत्ति ने ही अलंकारों को जन्म दिया है। शरीर की सुन्दरता बढ़ाने के जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न-भिन्न प्रकार आभूषण का प्रयोग किया, उसी प्रकार अपनी भाषा को सुन्दर बनाने के लिये अलंकारों की योजना की। अपनी बात को प्रभावपूर्ण बनाने के लिये चमत्कार अथवा रमणीयता का आश्रम लेना पड़ता है, उसी प्रकार काव्य को सुन्दर एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिये चमत्कार अथवा रमणीयता का आश्रम लेना पड़ता है। अलंकार वाणी के विभूषण कहे जाते हैं। अलंकारों के द्वारा अभिव्यक्ति में स्पष्टता, भावों में प्रभाविष्णुता और प्रेशणीयता तथा भाषा में सौन्दर्य का सम्पादन होता है। वाणी को अलंकृत तथा चमत्कृत करना ही अलंकारों का ध्येय है। काव्य में अलंकारों का वही स्थान है जो शरीर के लिये आभूषणों का होता है। आभूषण शरीर की शोभावृद्धि करते हैं और साथ ही साथ आत्मा को भी प्रफुल्लित करते हैं वैसे ही अलंकार काव्य के शरीर शब्द और अर्थ को अलंकृत करते हैं। काव्य शोभा के विधायक रूपों में श्लेश अलंकार और श्लेश काव्य का अपना महत्व है। हिन्दी के अधिकांश आचार्यों ने इस विषय में संस्कृत के आचार्यों का पूर्णतः अनुकरण किया है। श्लेष शब्द की अर्थमीमांसा शिल्प धातु में घ प्रत्यय लगने पर 'श्लेश' शब्द की निष्पत्ति होती है। शिल्प धातु की गणना तीन गणों में उपलब्ध होती है— प्रथम भ्वादिगण परस्मैपद में, द्वितीय दिवादिगण परस्मैपद में तृतीय चुरादिगण उभयपद में। प्रथम में इसका अर्थ जलना, द्वितीय में इसका प्रयोग जमें या

चिपके रहना, सम्मिलित या संयुक्त होना स्वीकारा गया है, तृतीय में इसका अर्थ जोड़ना, मिलाना आदि माना गया है। वामनशिवराम आप्टे ने इसका अर्थ निम्न प्रकार माना है। मिलाप, संगम, अनेकार्थक शब्द प्रयोग। द्वारिका प्रसाद शर्मा ने भी इन्हीं अर्थों का उल्लेख किया है। संस्कृत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं विशालतम कोश 'वाचस्पत्यम्— का मत भी इन्हीं के आस-पास हैं। संस्कृत कोशकारों के मतों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाये तो निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं।

श्लिष् धातु में घ प्रत्यय लगने पर 'श्लेश' शब्द की निष्पत्ति होती है। श्लिष् धातु की गणना तीन गणों में उपलब्ध होती है— प्रथम भ्वादिगण परस्मैपद में द्वितीय दिवादिगण परस्मैपद से, तृतीय चुरादिगण उभयपद में। प्रथम में इसका अर्थ जलना, द्वितीय में इसका प्रयोग जमें या चिपके रहना सम्मिलित या संयुक्त होना स्वीकारा गया है, तृतीय में इसका अर्थ जोड़ना, मिलाना आदि माना जाता है। वामनशिवराम आप्टे ने इसका अर्थ निम्न प्रकार माना है मिलाप, संगम, अनकार्षक शब्द प्रयोग। द्वारिका प्रसाद शर्मा ने भी इन्हीं अर्थों का उल्लेख किया है। संस्कृत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं विशालतम कोश 'वाचस्पत्यम्' का मत भी इन्हीं के आसपास है। संस्कृत कोशकारों के मतों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाये तो निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं।

1. श्लेश शब्द की निष्पत्ति श्लिष् धातु में घ प्रत्यय लगाने से सम्पन्न हुई है।
2. श्लेश धातु का मूल अर्थ जलना, चिपकना, जमना, संयुक्त या सम्मिलित होना है। अतएव श्लेश शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है— संधि, चिपकना आदि।
3. श्लेश शब्द के व्युत्पत्तिपरक अर्थ में मिलान का भाव होने के कारण की अलंकार विशेष के अर्थ में इसलिये प्रचलित हुआ है कि वहाँ भी दो या अधिक अर्थ परस्पर मिले या चिपके रहते हैं।
4. श्लेश शब्द पुल्लिङ्ग और एक वचन है। संस्कृत काव्य शास्त्र में श्लेश शब्द का प्रयोग गुणविवेचन और अलंकार विवेचन दो संदर्भों में उपलब्ध होता है। संस्कृत काव्यशास्त्र में गुणाविवेचन के संदर्भ में श्लेश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने किया है। उन्होंने दस गुणों का विवेचन किया है जो इस प्रकार हैं— श्लेश, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थाभिव्यक्ति उदारता और कान्ति। भरतमुनि के अनुसार अनेक शब्दों, अर्थों या वर्णों का एक में संगठन श्लेश कहलाता है।

ईप्सितेनार्थजातेन सम्बद्धानुपरस्परम्।

श्लिष्टता या पदानां हि श्लेश इत्यभिधीयते ॥

दण्डी और बामन ने भी गुणों के अन्तर्गत श्लेश का विवेचन किया है, लेकिन उनकी शब्दावली भरतमुनि से कुछ भिन्न है। दण्डी के अनुसार अल्पप्राण वर्णों की प्रचुरता से युक्त तथा शैथिल्य शून्य रचना श्लेश गुण से युक्त होती है।

'श्लिष्टमस्पृष्टशैथिल्यमल्पप्राणाक्षरोत्तरम्।'

वामन ने सभी गुणों के शब्द और अर्थ के आधार पर दो-दो भेद किये हैं। वामन शब्द श्लेश में मसृणता (कोमलता) को प्रमुख मानते हैं — 'मसृणत्वं श्लेशः'। तथा अर्थ श्लेश में घटना की विशेषता को 'घटनाश्लेश'। इस प्रकार इन आचार्यों के मतानुसार जिसमें अनेक पद एक पद के समान प्रतीत होते हैं। ऐसी रचना विशेषतः श्लेश कहलाती है।

श्लेश सर्वस्वीकृत अलंकार है। हिन्दी काव्यशास्त्र में सभी आलंकारिकों ने श्लेश का विवेचन किया है। श्लेश का अलंकार के रूप में प्रथम विवेचन का श्रेय आचार्य भामह को

है। उन्होंने इसे श्लेश न कहकर श्लिष्ट कहा है। उनका मत है कि गुण, क्रिया और नाम के कारण उपमेय का उपमान के साथ तादात्म्य या अभेद सीपन ही श्लेश है। –

उपमानेन यत्तत्त्वमुपमेयस्य साध्यते।

गुणक्रियाभ्यां नाम्ना च श्लिष्टं तदभिधीयते।।

श्लेश को मान्य स्वरूप देने का श्रेय आचार्य दण्डी को प्राप्त है। उनके अनुसार समान शब्द रूप से युक्त वाक्यार्थ जब अनेकार्थ का प्रतिपादन करे तब श्लेश अलंकार होता है। दण्डी की परिभाषा ही आज तक मान्य है। श्लेश के स्वरूप, प्रकार और क्षेत्र निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उद्भट का है। उद्भट ने इसके दो भेद प्रस्तुत किये— शब्द श्लेश और अर्थ श्लेश। उनके अनुसार उन शब्द के बंध को श्लेश कहते हैं जो भिन्नार्थक होते हुए भी एक ढंग से उच्चरित होते हैं। पंडितराज जगन्नाथ ने अनेक अर्थों का कथन या प्रतिपादन को श्लेश अलंकार माना है। श्लेश की शब्दालंकारता और अर्थालंकार पर भी उन्होंने गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि श्लेश शब्दालंकार भी है और अर्थालंकार भी। हिन्दी में रीतिकालीन आचार्य केशवदास ने श्लेश का निरूपण इस प्रकार किया है—

1. छोड़ तीन अरु भांति बहु, आवत जामें अर्थ श्लेश नाम तासों कहत, जे है बुद्धि समर्थ।।
केशवदास: कविप्रिया
2. एक वचन में होत जहां, बहु अरथन को ज्ञान।
श्लेश कहत है ताहि सो, भूशन सुकवि सुजान।। भूशण: शिवराज भूशण छन्द

प्रायः एक शब्द से अनेक अर्थ निकलने को ही श्लेश अलंकार नाम दिया गया है। श्लेश की विभिन्न परिभाषाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि अनेकार्थी शब्दों के द्वारा कई अर्थों का कथन करना ही श्लेश अलंकार है। जहां वारुणी की करी, रंचक रूचि द्विजराज। तही कियो भगवंत बिन, संपति सीभा साज।। केशवदास के इस दोहे में श्लेश अलंकार है। 'द्विज' शब्द अनेकार्थी है।

इसका एक अर्थ है— चन्द्रमा और दूसरा ब्राह्मण। इस शब्द के दो के अतिरिक्त भी दांत, पक्षी आदि अनेक अर्थ हैं। यहां पहले दो अर्थ लेने पर दोहे के दो अर्थ इस निकलते हैं—

प्रथम जैसे ही कोई ब्राह्मण शराब (वारुणी) की तनिक सी भी इच्छा करने लगता है, वैसे ही भगवान उसे ब्राह्मणोचित गरिमा और वैभव से शून्य बना देता हैं। द्वितीय अर्थ जैसे ही चंद्रमा पश्चिम (वारुण की) दिशा की ओर तनिक भी जाने लगता है, वैसे ही सूर्य उसे कलाओं से शून्य बना देता है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित होता है और धीरे-धीरे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगता है तथा कलाओं से शून्य होने लगता है अमावस्या को वह शून्य होकर पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है। यहाँ दोनो अर्थ 'द्विजराज' शब्द पर निर्भर है और उन्ही के अनुकूल वारुणी (1—शराब/2—पश्चिम दिशा) तथा भगवंत (1—भगवान, 2—सूर्य) शब्द भी अनेकार्थी न होकर दो-दो अर्थों को व्यक्त करते है। यदि यहां 'द्विजराज' के स्थान पर अन्य पर्याय विप्र, भूदेव आदि रख दिये जाये तो दोनों अर्थ व्यक्त नहीं होंगे। चूंकि श्लेश शब्द विशेष पर आधारित है और उसके स्थान पर उसका अन्य पर्याय रख देते पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अर्थात् उसमें पदपरिवृत्ति सहने की क्षमता का अभाव है, इसलिये इसे शब्द कहा जाता है। शब्द श्लेश के

1—अभंग श्लेश 2—संभंग श्लेश

अर्थ श्लेश –जब श्लेश में पदपरिवर्तन सहने की क्षमता हो, अर्थात् जब श्लेश शब्द विशेष पर आश्रित न हो और उस शब्द के स्थान पर उसका अन्य पर्याय रख देने पर भी श्लेश का अस्तित्व बना रहे, वहाँ अर्थ श्लेश होता है। जैसे

नर की अरु नल-नीर की गाति एकै करि जोड़।

जे तो नीचों हवै चले, ततो उँचो होई। बिहारी: सतसई

कवि का कथन है कि मनुष्य और नल के पानी की व्यवस्था एक सी समझों। जिस प्रकार नल का पानी जितना होगा उतना ही ऊँचा होगा, उसी प्रकार मनुष्य जितना विनम्र होगा, उतना ही श्रेष्ठ माना जायेगा। दोहे में प्रयुक्त 'नीचो' (1- निम्न, 2- विनम्र) तथा ऊँचों (1-उच्च, 2- श्रेष्ठ) सामान्यतः अनेकार्थी नहीं है लेकिन कवि ने इनसे नर और नल नीर दोनों की व्यंजना करायी है। अतएव यहाँ अर्थ श्लेश अलंकार है। इस प्रकार श्लेश एक प्रसिद्ध अलंकार है। अलंकार से भी आगे बढ़कर यह श्लेश –काव्य के रूप में भी लोकप्रिय रहा है संस्कृत साहित्य में इन श्लेश-काव्यों को द्विअर्थी काव्य अथवा द्विसंधान काव्य कहा गया है। श्लेश विभिन्न अलंकारों का भी मूल है जैसे 1- श्लेश और श्लेशक्रोक्ति 2- श्लेश और विरोधाभास 3- श्लेश और परिसंख्या 4- श्लेश और समासोक्ति आदि। इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र में श्लेश अलंकार प्रारम्भ से ही विवेचन का विषय रहा है। दो या अधिक अर्थों की अभिव्यक्ति होने के कारण श्लेश अलंकार विशेष लोकप्रिय भी है।

संदर्भ-ग्रन्थ।

1. बमन शिवराम आप्टे: संस्कृत हिन्दी कोश पृ1040
2. वही-पृ1040
3. द्वारिका प्रसाद शर्मा: संस्कृत-शब्दार्थ-कौस्तुभ
4. भारतमुनि-नाट्यशास्त्र
5. वही -16/98
6. दण्डी: काव्यादर्श, 1/43
7. वामन: काव्यालंकार सूत्रवशति
8. वही
9. भामह: काव्यालंकार, 3/14

शिक्षा में जनसंचार प्रणाली की आवश्यकता

*Dr. Bhed Pal Gangwar, **Dr. Savita

*Assistant Professor, Institute of Professional Studies, Ghaziabad

**Assistant Professor.

“The school has its own role to play and will have to develop it even further. But it will be less in a position to claim the educational functions in society as its special prerogative. All sectors or public administration, industry, communications, transport must take part in promoting education. Local and national communities are themselves eminently educative institutions.”-**International commission on development of education.**

परिचय—

शिक्षा के साधन के रूप में आज जनसंचार एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि संचार में वो शक्ति है, जिसके माध्यम से जन-जन तक सूचना किसी न किसी रूप में पहुंचायी जा सकती है। आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में संचार के बहुत से साधन पाये जाते हैं, जिनमें मीडिया एक प्रमुख साधन के रूप में अवतरित हुआ है और इसने अपनी पहुंच विश्व के अरबों-खरबों लोगों तक बनायी है। आज मीडिया से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक तथा कभी भी किसी भी समय मोबाइल, कम्प्यूटर पर इण्टरनेट का उपयोग करके मीडिया के कई प्रकारों जैसे फेसबुक आदि पर तुरन्त एक-दूसरे से संचार कर सकते हैं तथा दुनिया में क्या हो रहा है, ये तुरन्त जान सकते हैं। इसी कारण आज भारत में जनसंचार को शिक्षा के प्रमुख साधन के रूप में देखा जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य—

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य जनसंचार को शिक्षा में कैसे प्रयोग किया जाये इसका पता लगाना है तथा संचार किस प्रकार एक-दूसरे के लिए कार्य करता है। इन सबको भी जानना है।

शोध परिकल्पनाएँ—

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है, जो अग्रलिखित हैं।

1. विद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है और वह इसकी अग्रिम उन्नति के लिये भी कार्य करेगा । परन्तु जब इसके द्वारा यह माँग की जाती है कि शिक्षा के कार्यों पर मेरा विशेषाधिकार है तब उसकी स्थिति कम होती चली जाती है।
2. लोकप्रशासन, उद्योग, संचार, परिवहन, आदि सभी के द्वारा शिक्षा के विकास के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। स्थानीय तथा राष्ट्रीय समुदाय स्वयं में महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाएँ है।
3. जनसंचार एक ऐसी प्रणाली है, जिसके माध्यम से एक स्थान पर बैठकर कुछ ही मिनटों के अन्दर बहुत सारी सूचनाएँ, बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचायी जा सकती है।
4. वर्तमान में जनसंचार के साधनों की गति इतनी तेज है कि एक बटन दबाते ही कोई भी विषय एक स्थान से दूसरे स्थान पर चाहें वो मीलों दूर क्यों न हो, तुरन्त दृष्टिगोचर हो जाता है।

शोध कार्य—

जनसंचार प्रक्रिया स्वभाविक रूप से ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत संचार की व्यवस्थाएँ दी जाती हैं। संचार वह व्यवस्था या प्रक्रिया है जिससे आदेश, सूचनाएँ, विचार प्रश्न, स्पष्टीकरण आदि एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुँचाये जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संचार मानवीय साधनों के बीच होने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया है। जब यह क्रिया-प्रतिक्रिया व्यवस्थित रूप से होती है तब इसका एक निश्चित स्वरूप हो जाता है। यह निश्चित स्वरूप औपचारिक संस्थाओं में देखने को मिलता है। जब यह क्रिया-प्रतिक्रिया स्वभाविक एवं अप्रत्यक्ष रूप से होती है तब इसका स्वरूप अनौपचारिक साधनों में देखने को मिलता है। उसके बाद यह जनता में औपचारिक रूप धारण कर लेती है और जन जनता इसे एक बार अपना लेती है तब यह प्रक्रिया जानी पहचानी सी लगती है।

जन संचार माध्यम का आशय—

जनसंचार से आशय को समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले इसकी प्रणाली को समझा जाये। राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में 'सबके लिये शिक्षा' पहुँचाने का कार्य को इन साधनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। अधुनिक युग में जन-संचार शिक्षा का बहुत ही शक्तिशाली साधन है। ऐसे अभिकरण जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ, स्पष्टीकरण, प्रश्न, आदि को दूर-दूराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास किया जाय। इस प्रकार के साधन हैं—रेडियो, दूरदर्शन, समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाएँ आदि। जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिये किया जाता है तब ये 'शिक्षा के साधन' कहलाते हैं। इन साधनों के उपयोग से शिक्षा से जुड़े विभिन्न उद्देश्यों या शैक्षिक कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में जन-संचार की आवश्यकता—

भारतीय समाज में जनसंचार की वर्तमान समय में बहुत बड़ी आवश्यक है क्योंकि भारतीय समाज आज भी पूरी तरह शिक्षित नहीं है न ही यहाँ के लोग अभी तक शिक्षा को पूरा महत्व देते हैं। अतः यहाँ पर जनसंचार की आवश्यकता को देखते हुए निम्नलिखित को ध्यान में रखना होगा।

- समाजिक दृष्टि से जनसामान्य में जागरूकता पैदा करना।
- देश-विदेश की घटनाओं से जनसामान्य को अवगत कराकर उन्हें देश-विदेश से जोड़े रखना। साथ ही उनमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समझ के विकास में सहायता देना।
- संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों के प्रदर्शन द्वारा जन-सामान्य को अपने देश की संस्कृति से अवगत कराना।
- मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ्यवस्तु अथवा सूचनाओं को सरल, सुबोध बनाना।
- समाचार, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो-प्रसारणों आदि से जन-सामान्य को एक जागरूक नागरिक बनाना।
- जन-संचार माध्यम से सभी तक शिक्षा पहुँचाकर राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करना।
- सूचनाओं को शीघ्रता से दूर-दूर तक प्रेषित करना।
- शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिये औपचारिक शिक्षा से सम्बद्ध कठिन संकल्प वाले पाठों को सर्वसुलभ बनाना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिये, शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को

सुधारने के लिए और कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थायी मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जायेगा। औपचारिक तथा गैर-औपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में इसका प्रयोग होगा। आधुनिक संचार-प्रौद्योगिकी से यह सम्भव हो गया है कि पहले की दशाब्दियों में शिक्षा को जिन अवस्थाओं और क्रमों से गुजरना पड़ता था उनमें से कड़ियों को लाघटकर आगे बढ़ा जाये। इस टेक्नोलॉजी से वेश और काल के बन्धनों पर काबू पाना सम्भव हो गया है।

जन-संचार के माध्यम-

भारत में वर्तमान में जनसंचार के निम्नलिखित साधनों का प्रयोग सरकार द्वारा तथा जनता द्वारा बड़ी मात्रा में किया जाता है, जो इस प्रकार हैं:-

1. आकाशवाणी,
2. विविध भारती एवं विज्ञापन प्रसारण सेवा,
3. विदेश प्रसारण सेवा,
4. दूरदर्शन,
5. समाचार-पत्र एवं अन्य मुद्रित सामग्री।
6. सोशल मीडिया
7. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

जन-संचार माध्यमों का उपयोग-

भारत में जन-संचार माध्यमों का निम्न के लिये उपयोग किया जा रहा है-

1. आजीवन शिक्षा से जोड़ने हेतु।
2. विभिन्न समस्याओं पर विशेषज्ञों की सलाह देने हेतु।
3. जिज्ञासा, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति आदि को जाग्रत करने हेतु।
4. जन-सामान्य को सामान्य कानूनी शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, योग शिक्षा, यौन शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा आदि की जानकारी देने हेतु।
5. सिद्धान्तों को जीवन से जोड़ने हेतु।
6. जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जन-सामान्य को अवगत कराने हेतु।
7. साक्षरता के सन्देश को व्यक्त करने के लिये नियमित रूप से मुख्य क्षेत्रों में लघु सन्देश प्रसारित करने हेतु।
8. नवसाक्षरों की रुचि को बनाये रखने हेतु। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने विवेक दर्पण' नामक परियोजना से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
9. ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुए द्रुत विकास से अवगत कराने हेतु।
10. शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु आदि।
11. विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ देने हेतु।
12. जन-सामान्य को सजग बनाने हेतु।
13. कठिन अवधारणाओं (Concepts) को सरल एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने हेतु।
14. मनोरंजन हेतु।
15. समस्याओं व उनके समाधान हेतु।
16. सूझबूझ उत्पन्न करने हेतु।
17. जनमत निर्माण हेतु।
18. पाठ्य-वस्तु को प्रस्तुत करने हेतु।
19. सिद्धान्तों को व्यावहारिकता से जोड़ने हेतु।
20. समाज व व्यक्ति को समीप लाने हेतु

21. व्यक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने हेतु।
22. सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये पृष्ठभूमि तैयार करने हेतु।
23. विशेषज्ञों की चर्चा कराने हेतु।
24. ऐसे स्थानों, कार्यों, वस्तुओं से जनता को अवगत कराना जो उनकी पहुँच से बाहर है।

सन्दर्भ एवं ग्रन्थ—

- Diani, M., & McAdam, D. (Eds.). (2003). Social movements and networks: Relational approaches to collective action. New York: Oxford University Press.
- Downing, J. D. H. (1984) Radical media: The political experience of alternative communication, Boston, MA: South End Press.
- Downing, J. D. H., & Broton, L. (2007). ICTs and political movements. In R. Mansell & R. Silverstone (Eds.), The Oxford handbook of information and communication technologies. New York: Oxford University Press.
- Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere trans. Thomas Burger. Cambridge, MA: MIT press.
- Siegel, S., & Mattelart, A. (Eds.). (1983) Communication and class struggle (Vol. 2). New York: International General.
- Fisher, D. R., Stanley, K., Berman, D., & Neff, G. (2005). How do organizations matter? Mobilization and support for participants at five globalization protests.
- Seib, P. M. (2008). The Al Jazeera effect: How the new global media are reshaping world politics. Washington, DC: Potomac Books.
- Andrews, Kenneth T. (1997). "The Impacts of Social Movements on the Political Process: A Study of the Civil Rights Movement and Black Electoral Politics in Mississippi." American Sociological Review 62:800-19.
- Gamson, William. (1990). The Strategy of Social Protest. 2d ed. Belmont, CA: Wadsworth.
- McAdam, Doug and David Snow. (1997). Social Movements. Los Angeles, CA: Roxbury.
- Sener, Gulum. (2014). Social Media as a Field of Struggle. Special issue – 2, Journal of Media Critics.
- News papers.
- Magazines
- Internet Help
- Social Media Sites
- Interviews

प्रकृतिवादी शिक्षा की विभिन्न विचारधाराएँ

Dr. Sanjeev Kumar

Assistant Professor, Department of Teacher Education (B.Ed.)
Ku. Mayawati Govt. Girls P.G. College, Badalpur, Gautambudh Nagar (U.P.)

परिचय—

हमारे प्राचीनतम वेदों में पूज्य ऋषि मुनियों ने प्रकृति का जो भेद प्रकट किया है, उसको समझकर कोई भी आविष्कार किया जा सकता है, इन वेदों में शिक्षा और विज्ञान के प्रत्येक रहस्य को प्रकृतिवाद के साथ जोड़ा गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों को समझा है वे इस संसार में अजर—अमर हैं और हमेशा सम्मान के पात्र बने रहेंगे। भारतीय संस्कृति में इसी अटल सत्य को स्थान प्रदान किया गया है। इसने प्राकृतिक सुषमा के सभी आधारों में देवत्व गुण को आरोपित कर उन्हें आदर और श्रद्धा का केन्द्र—बिन्दु बनाया है। इसकी पुष्टि ऋग्वेद की एक स्तुति से की जा सकती है जिसमें कहा गया है। यदि मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर, प्रकृति को गुरु मानकर उसके साथ सहयोग करता है और विशेषकर सब अवशिष्टों को प्रकृति को लौटाता है तो सृष्टि और मनुष्य स्वस्थ रह सकते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य—

उपरोक्त अध्ययन का उद्देश्य मनुष्य के लिए प्रकृतिवादी शिक्षा की उपयोगिता को दर्शाने के साथ—साथ इस पर महत्वपूर्ण शोध प्रस्तुत करना है जो प्रकृतिवाद को निर्धारित करने में सहायक बन सके।

शोध परिकल्पनाएँ—

प्रस्तुत अध्ययन के लिए निम्नलिखित शोध परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार हैं।

1. प्रकृतिवाद में मनुष्य के लिए गृह—शास्त्र, शरीर—विज्ञान, बाल—मनोविज्ञान आदि वे समस्त कार्य आवश्यक हैं जो सन्तान के पालन—पोषण में सहायता देते हैं।
2. इस परिकल्पना के अनुसार वे क्रियाएँ जो सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्धों की स्थापना और व्यक्ति को योग्य नागरिक तथा पड़ोसी बनाने में सहायता देती हैं।
3. भाषा, व्यवहार तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाएँ जो मनोरंजन और व्यक्ति की रुचियों तथा भावनाओं को सन्तुष्ट करने में सहायता देती हैं।
4. शरीर—विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि क्रियाएँ जो प्रत्यक्ष रूप से आत्म—संरक्षण में सहायता देती हैं। ऐसी क्रियाओं को प्रकृतिवाद में स्थान दिया गया है।
5. भोजन, वस्त्र, मकान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल आदि क्रियाएँ जो अप्रत्यक्ष रूप से आत्म—संरक्षण के लिए जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता देती हैं। इन्हें परिकल्पनाओं का आधार बनाया गया है।

प्रकृतिवाद के भेद—

प्रकृतिवाद के विभिन्न भेदों को हम कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत स्पष्ट करेंगे, जो इस प्रकार हैं।

(1) पदार्थवादी प्रकृतिवाद—

पदार्थवादी प्रकृतिवाद के अन्तर्गत मनुष्य अपनी इन्द्रियों के द्वारा बाहरी पदार्थों की प्रकृति को स्वयं ही समझने की शक्ति रखता है। इसमें मनुष्य उन समस्त बाहरी पदार्थों पर अपनी दृष्टि द्वारा अपने मस्तिष्क में उनका समस्त विवरण तैयार कर उन्हें समझने की चेष्टा करता है। यही पदार्थवादी प्रकृतिवाद कहलाता है।

(2) यन्त्रवादी प्रकृतिवाद—

यन्त्रवादी प्रकृतिवाद में मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए अपनी दृष्टि के साथ-साथ सूक्ष्मदर्शी आदि यन्त्रों का प्रयोग कर इस प्रकृतिवाद को व्यवहारिक बनाने का प्रयास करता है।

(3) जीव-विज्ञानवादी प्रकृतिवाद—

मनुष्य में अपने जन्म के साथ ही जीवन जीने की इच्छा प्रवल होती जाती है। वह अपने अन्तिम समय तक अपने जीवन को संघर्षमय बनाये रखता है। शिक्षा विज्ञान के अनुसार केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि इस ब्रम्हाण्ड के समस्त जीव चाहें वे जल, थल अथवा नभ में विचरण करते हों, सभी को अपने जीवन से अथाह प्रेम होता है, और वे अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिक्षण संघर्ष करते रहते हैं, और यह संघर्ष उन्हें उनकी खाने-पीने, सोने, आवास समस्त आवश्यकताएँ पूर्ति करने में सहायता प्रदान करता है।

(4) इन्द्रियाँ : ज्ञान के द्वार—

इन्द्रिय ज्ञान वह ज्ञान है, जिसमें मनुष्य अपनी सभी इन्द्रियों का प्रयोग करके तथ्यों को आसानी से समझ सकता है। इन्द्रिय ज्ञान भी मनुष्य के स्वयं के ज्ञान और दूसरों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित होता है। अल्प आयु के बच्चों में इन्द्रिय ज्ञान को जागृत करने के लिए उन्हें दिखाना, सुनाना आदि की कक्षाओं में व्यवस्था की जाती है। इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पोस्टर, प्रोजेक्टर, कहानी, प्रतियोगिता आदि पर विचार किया जाता है।

(5) पुस्तकीय शिक्षा अनावश्यक—

प्रकृतिवादी पुस्तकीय शिक्षा को अनावश्यक मानते हैं, उनके अनुसार मनुष्य में स्वयं का तथा प्रकृति प्रदत्त इतना ज्ञान है जो उसको यह अनुभव कराने में सक्षम है कि वो समस्त बाहरी पदार्थों को इसके द्वारा जान सकता है। यदि देखा जाये तो प्रकृति का प्रत्येक फूल, वृक्ष, लताएँ केवल देखने मात्र से बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करा देती हैं, और यदि इन पर पर्याप्त समय लेकर दृष्टि डाली जाये तो इनका सर्वस्व आपके सामने प्रकट हो जाता है। प्रकृतिवादी यही विचारधारा आगे बढ़ाते हैं कि इस ज्ञान के लिए पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है।

प्रकृतिवाद व शिक्षा उद्देश्य—

शिक्षा में प्रकृतिवाद को स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण विचारधाराएँ हैं जो इस प्रकार हैं—

(1) पदार्थवादी प्रकृतिवादियों के विचार—

पदार्थवादी प्रकृतिवादियों के विचार पदार्थ की प्रकृति, उसका वास्तविक स्वरूप पर आधारित होते हैं।

(2) यन्त्रवादी प्रकृतिवादियों के विचार—

इन प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है—सम्बद्ध सहज क्रियाओं को उत्पन्न करना, जो आधुनिक जीवन के लिए उपयुक्त क्रिया और विचार की आदतें हैं, जिन्हें एक मनुष्य को बनाये रखना आवश्यक है।

(3) जीव—विज्ञानवादी प्रकृतिवादियों के विचार—

इन प्रकृतिवादियों का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के वर्तमान और भावी सुख को सुरक्षित रखना है।

(4) नव—लैमार्कवादियों के विचार—

इस विचार के जनक इस बात पर बल देते हैं कि प्राणी परिस्थितिजन्य समायोजन को अपनाता है जो जीने में सहायक है, जैसे प्रत्येक प्राणी में अपने आप को अपनी आदतों को और अपने शारीरिक ढाँचे को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की शक्ति होती है।” इस प्रकार नव—लैमार्कवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है—व्यक्ति को अपने वातावरण से अनुकूल करने योग्य बनाना।

(5) स्पेन्सर के विचार—

आत्म—सन्तोष मानव—जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुण है। आत्म—सन्तोष ही मनुष्य के वर्तमान और भावी सुख का आधार है। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालक की मूल—प्रवृत्तियों और स्वभाविक आवेगों का विकास करना है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक जीव में आवेग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

(6) बर्नार्ड शॉ के विचार—

इस विचार के अनुसार प्रत्येक प्राणी को अपने विकास करने की पूरी आजादी है इसके लिए वह आवश्यकतानुसार प्रयासों को बढ़ा सकता है तथा कम भी कर सकता है।

(7) नन के विचार—

इस विचार के अनुसार मनुष्य विकास के प्राचीन तथा नई विधियों में समन्वय स्थापित कर सकता है अथवा इन्हें अलग—अलग प्रयोग कर सकता है। नन अपने पाठ्यक्रम में आदर्शवादी है, पर उसने शिक्षा के उद्देश्यों पर जीव—विज्ञानवादी और प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से विचार किया है।

(8) नव—डार्विनवादियों के विचार—

इस विचार में यह प्रकट किया गया है कि मनुष्य का विकास जीवन के निम्नतर स्तरों से हुआ है। उनका कहना है कि प्राणी को अपने जीवन को बनाये रखने के लिए वातावरण से निरन्तर संघर्ष में शक्तिशाली या सबसे उपयुक्त तो जीवित रह जाते हैं, पर निर्बल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह व्यक्ति को जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करें और इस प्रकार उसके जीवन को सुरक्षित रखे।

(9) नव—लैमार्कवादियों के विचार—

इस विचारधारा में प्रकृतिवादियों ने जो शामिल किया है, वो यह है कि नव—डार्विनवादियों के समान लैमार्कवादी भी जीवन के निम्नतर स्तर से मनुष्य के विकास में विश्वास करते हैं। पर वे इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से करते हैं।

प्रकृतिवाद व शिक्षक—

शिक्षक का कार्य है वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला, न कि उसको सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा-शक्ति को देने वाला या उसके चरित्र का निर्माण करने वाला है। बालक इन बातों को स्वयं ही कर लेगा। वह किसी भी शिक्षक की अपेक्षा यह अधिक अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या, कब और कैसे सीखना है? उसकी शिक्षा उसकी रुचियों और प्रेरणाओं का स्वतन्त्र विकास है, न कि इसके लिए शिक्षक द्वारा किया गया कृत्रिम प्रयास। प्रकृतिवादी शिक्षा-योजना में शिक्षक का स्थान गौण है। प्रकृतिवादियों का कहना है कि प्रकृति ही बालक का वास्तविक शिक्षक है। यह बालक की शिक्षा में शिक्षक को किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं देती हैं। यदि वह ऐसा करता है और बालक पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है, तो वे उसकी निन्दा करते हैं। वे शिक्षक से केवल यह बचाते हैं कि वह बालक के स्वभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करे।

प्रकृतिवाद व अनुशासन—

प्रकृतिवाद हमेशा इस बात पर बल देते रहे हैं कि स्वतंत्रता सबके लिए अनिवार्य है, खासकर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इसका महत्व है, क्योंकि जो बच्चे विकास के विभिन्न चरणों से होकर गुजर रहे हैं, उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जाये कि वे अपना निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हो सकें। इसके लिए उनकी उन समस्त क्रियाओं को प्रोत्साहन देना होगा जो वो बचपन में करना चाहते हैं। इन बच्चों को दण्ड देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास इसके लिए कोई उचित कारण नहीं है। यदि बच्चों को इस प्रकार का वातावरण उपलब्ध कराया जायेगा तो उनमें प्राकृतिक रूप से अनुशासन आ जायेगा। जिसका वे जीवन पर्यन्त पालन करेंगे।

प्रकृतिवादी शिक्षा के गुण—

प्रकृतिवाद में विभिन्न विचारधाराएँ जिस प्रकार समायोजित की गयी हैं, उनसे निम्नलिखित गुणों की प्राप्ति होती है।

- प्रकृतिवाद ने शिक्षा और ज्ञान की सभी शाखाओं पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है।
- प्रकृतिवाद ने इस सिद्धान्त को जन्म दिया है कि मनोविज्ञान की प्रगति पूर्ण रूप से निरीक्षणात्मक और वस्तुपरक विधियों पर निर्भर है।
- व्यवहारवाद का जन्म प्रकृतिवाद से माना जाता है।
- यह स्पष्ट है कि आधुनिक शिक्षा-मनोविज्ञान और समाजशास्त्र प्रकृतिवादी हैं।
- प्रकृतिवाद ने शिक्षा को वैज्ञानिक और जैविकीय दृष्टिकोण दिये हैं, जिनमें दोनों का ही अपना महत्वपूर्ण स्थान है।
- समाज और समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन का जन्म प्रकृतिवाद से हुआ है।

प्रकृतिवादी शिक्षा के दोष—

प्रकृतिवादी शिक्षा में जिस प्रकार बहुत से गुणों का समावेश होता है, उसी प्रकार कुछ दोष भी इसमें व्याप्त हैं।

- “प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धान्त सभी स्तरों के छात्रों के लिए उचित नहीं है।
- प्रकृतिवाद, आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना करता है, जिसके बिना मनुष्य पशु के समान होता है।

- प्रकृतिवाद ने बालक को पाठ्यक्रम का आधार बनाकर पाठ्यक्रम के महत्त्व को कम कर दिया है।
- प्रकृतिवाद, बालक के केवल वर्तमान जीवन को महत्त्व देता है और उसके भावी जीवन से कोई परोपकार नहीं रखता है।
- प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य सन्तोषजनक नहीं हैं।
- प्रकृतिवादी तात्कालिक उपयोगिता पर बल देता है।
- प्रकृतिवाद, शिक्षक को गौण स्थान देकर उसकी अपेक्षा करता है।

निष्कर्ष—

उपरोक्त अध्ययन से इस बात को बल मिलता है कि प्रकृति पर आधारित शिक्षा में प्रत्येक मनुष्य को जो विकास के विभिन्न चरणों से होकर गुजर रहा है चाहें वह बालक अथवा युवा, को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती चाहिए। इसके अतिरिक्त उस पर किसी प्रकार का बोझ न डाला जाये, उसे खुश रहने दिया जाये और वह जो करता है उसे करना दिया जाये। इस प्रकार का वातावरण इन बच्चों में तथा युवाओं में एक प्रकार का प्राकृतिक अनुशासन पैदा करेगा, जिसे वे अपने व्यवहार में लाकर बहुत सारे प्रकृति के रहस्यों को प्रकट करने में सक्षम होंगे। किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर एक नये संसार का निर्माण करेंगे, जहाँ प्रकृतिवाद विभिन्न रूपों में फलेगा—फूलेगा।

सन्दर्भ एवं ग्रन्थ—

- 1- Journal A Free Lance Vol.-1, Issue - 1.
- 2- Journal A Free Lance Vol.-2, Issue- 2.
- 3- Journal Relevant Derive Vol.-4, Issue -4.
- 4- Deleberative Research Journal Issue - 19, Vol. 19.
- 5- Compretive Study of Education.
- 6- News Papers Special Editorial for Education.
- 7- Journal Elite Home.
- 8- Principles of Education NCERT books.
- 9- The Sociology of Education book.
- 10- Education & Social Changes book.
- 11- Environmental Education book.

सन्त काव्यों में शिक्षा एवं सद्भावना—एक अध्ययन

Mohd. Waqar Raza

Assistant Professor (B.Ed.)

Ku. Mayawati Govt. Girls P.G. College, Badalpur, Gautambudh Nagar (U.P.)

परिचय

कबीर, गुरुनानक, सन्त रैदास, दादू, अमीर खुसरो, मत्स्येन्द्र नाथ और मलूकदास आदि ने जहाँ एक ओर हमारे समाज में फैली विद्रूपताओं पर कठोर प्रहार किये वहीं उन्होंने हमें शान्ति, सहयोग, सद्भावना एवम् एक साथ मिलकर रहने का संदेश भी दिया। सन्त काव्य का मुख्य उद्देश्य ईश्वर पूजा की उन भिन्न-भिन्न वाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर, जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, शुद्ध ईश्वर प्रेम और सद्भावना तथा सात्विक जीवन का प्रचार-प्रसार करना था। अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में इन्हें बहुलांश में सफलता भी मिली। भारत वर्ष अनेकता में एकता लिये एक अनूठा देश है, जहाँ विभिन्न भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, वेष-भूषा तथा संस्कृतियों के बावजूद सभी लोग मिल-जुल कर एक साथ रहते हैं। इसके वर्तमान स्वरूप के निर्माण का श्रेय हमारे सन्तों, साधुओं, मनीषियों, ऋषियों ज्ञानियों और सूफ़ी, फ़कीरों के वचनों तथा उनके काव्यों को जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि भारत में जो अनेक संत, चिंतक, दार्शनिक हुए, उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से शिक्षा और सद्भावना का हमेशा हितोपदेश दिया। वर्तमान में इसकी क्या आवश्यकता है हम यहाँ यह बतायेंगे।

परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन को सार्थक बनाने के लिए कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार हैं—

1. सन्त-काव्य पर अपनी पूर्व चिन्तन-पद्धतियों आराधना रूपों आदि का प्रभाव रहा तो अवश्य था परन्तु इसके प्रणेता सन्त कवियों ने इन सारे प्रभावों को आत्मसात् कर अपनी नवीन चिन्तन और उपासना पद्धति को एक ऐसा जनवादी रूप प्रदान किया जो उस युग की सामान्य जनता द्वारा स्वीकार्य हुआ था।
2. सन्तों के पूर्णवर्ती सिद्ध, नाथ पंथी आदि व्यक्तिगत साधना के विश्वासी थे। उनकी साधना पद्धतियाँ साधक के सामाजिक जीवन की उपेक्षा करती थी, इसी कारण वे गृहस्थ जीवन की अवहेलना कर, सन्यासी बन, अपने सम्पूर्ण सामाजिक दायित्व को भूल, व्यक्तिगत साधना-आराधना द्वारा सिद्धि और मुक्ति प्राप्त करने के आकाँक्षी थे।
3. सन्त काव्य का प्रमुख लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति-पद्धति का प्रचार करना था, जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों योग दे सकें और भेद-भाव का परिहार हो तथा सद्भावना का वातावरण बने। सन्त-कवियों ने सामाजिक एवम् धार्मिक कुरीतियों को दूर कर एक सामाजिक उपासना का रूप प्रस्तुत किया।

जहाँ हिन्दू अनेक देवी-देवताओं की उपासना करते वहीं मुसलमान निराकार भक्ति में विश्वास रखते। इसी स्थिति में दोनों सम्प्रदायों में समन्वय एवम् सद्भावना हेतु सन्तों ने 'निर्गुण' पंथ की नींव डाली। इस पन्थ का जन्म वास्तव में हिन्दू और मुसलमानों में धर्म के नाम से प्रचलित साम्प्रदायिक भावनाओं का अन्त करने हेतु हुआ था। सन्त काव्यों में साम्प्रदायिक भावनायें नहीं हैं। इसके विपरीत, सन्तों ने मानव सामाजिक स्थिति और उनके महत्व को मान्यता प्रदान कर एक ऐसी उपासना पद्धति का प्रवर्तन किया था, जिसे गृहस्थ रहते हुए भी अपनाया जा सकता था।

परम्पराओं के उचित संचयन तथा परिस्थितियों की प्रेरणा में कबीर ने एक विश्व धर्म की स्थापना की जो जन जीवन की व्यवहारिकता में उतर सके और अन्य धर्मों के प्रचार में समानान्तर बहते हुए अपना रूप सुरक्षित रख सके, वह रूप सहज और स्वाभाविक हो तथा अपनी विचारधारा में सत्य से इतना प्रखर हो की विविध वर्ग और विचार वाले व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में उसे स्वीकार कर सकें और अपने जीवन का अंग बना लें।

उनका ईश्वर एक है जो निर्गुण और सगुण से भी परे है। वह निर्विकार है, अरूप है।

कबीर भक्ति को सभी के लिए मानते हैं और भक्ति के माध्यम से सामाजिक सौमनस्य का प्रयास करते हैं।

“प्रभु तौ भक्ति के बस माई
जाति वरण कुल रीझत नाही,
ना रीझें चतुराई”।

कबीर कहते हैं.....

“कासी काबा एक है
एकै राम रहीम
मैदा इक पकवान बहु
बैठ कबीरा जीम”

कबीर की दृष्टि से ब्रह्म न मुख से कहा जा सकता है, न ही कागज पर ही लिखा जा सकता है, वह गूंगे के गुड़ की तरह केवल अनुभूति करने की वस्तु है—

“कहैं कबीर मुख कहा न जाई
ना कागद पर अंक चढ़ाई
मानो गूंगे सम गुड़ खाई
कैसे वचन उचारा हो”।

सन्त काव्य मानव को संकीर्ण धरातल से ऊपर उठाकर मानव मात्र की प्रगति में सहायक होने का सन्देश देते हैं। इनमें उन तत्वों का समन्वय है जिनमें किसी भी धर्मावलम्बी का विरोध नहीं हो सकता और जो धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण आदि विकास विराधिनी विचार-धाराओं से परे मानव समाज को एक 'सामान्य धर्म' के द्वारा उत्थान की ओर अग्रसर होने में समर्थ बनाता है।

ब्रह्म सर्व व्यापक हैं इसलिए सभी जीव एकात्म हैं—

“कस्तूरी कुण्डल बसै
मृग ढूंढे बन माहिं

ऐसे घट-घट राम हैं
दुनियां देखे नाहिं” ।

ठीक ऐसे ही विचार संत दादू ने भी व्यक्त किये हैं—

“सब घटि में गोविन्द हैं,
संगे रहै हरि पास
कस्तूरी मृग में बसै
सूँघत डोले घास” ।

संभवतः श्वेताश्वतरोपनिषद् ने सर्वप्रथम ब्रह्म को सर्वव्यापी एवम् सर्वभूतात्मा में निवास करने वाला कहा है—

“एको देवः सर्व भूतेषु गूढः
सर्वव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा” ।

सन्त कवियों ने परस्पर विरोधी भावनाओं को दूर करने का आह्वान किया—

“एक-एक जिनि जाणियाँ,
तिनही सच पाया ।
प्रेम – प्रीत ल्यौलीय मन,
ते बहुरि न आया” ।

ईसा, ब्रह्म, ईश्वर या अल्लाह एक ही रूप के कई नाम हैं। एकेश्वरवाद का समर्थन करते हुए सन्त कवियों ने ब्रह्म की सर्वव्यापकता का संदेश दिया। सन्त कवियों ने सर्वप्रथम सद्भावना के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कबीर हिन्दू-मुसलमान तथा ब्राह्मण – शूद्र में कोई अन्तर नहीं करते क्योंकि वे सभी एक ही ज्योति से जन्में हैं—

“एक जोति सै सब उत्पन्न
को वामन को सूद्रा” ।

वे हिन्दू और मुसलमान भी उसी को मानते हैं जो ईमानदार हैं—

“सो हिन्दू सो मुसलमान ।
जा का दुरुस रहे ईमान” ।।

कबीर को किसी भी धर्म से कोई सरोकार नहीं। वे तो ‘सर्वजन हिताय’ ‘सर्वजन सुखाय’ में विश्वास रखते हैं—

“कबिरा खड़ा बाज़ार में,
माँगे सबकी खैर ।
न काहू से दोस्ती,
न काहू से बैर” ।।

कबीर के उपरांत दादू दयाल ने एक ऐसा पंथ चलाया जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उनके शिष्य थे। सुन्दर दास, जगजीवन दास, गरीब दास, रज्जब,

काजी मुहम्मद आदि उनके प्रमुख शिष्य थें। दादू आडम्बरों के विनम्र आलोचक थें और वाद विवाद से परें—

“भाई से ऐसा पंथ हमारा,
द्वै पख रहित पंथ गह पूरा
अबरन एक आधारा।
वाद—विवाद काहू सौं नाहीं।
मै हूँ जग में न्यारा।
सम—दृष्टि सूँ भाई सहज में,
आपहिं आप विचारा”।

ब्रह्म की सर्वव्यापकता से समरसता का उपदेश देते हुये दादू कहते हैं—

“सब घटि में गोविन्द है, संगि रहै हरि पास
कस्तूरी मृग में बसै, सूँघत डोले घास”।

इसी प्रकार संत पलटू ने भी अपने विचार रखे हैं —

“सिरजन हारा छोड़ि पूजते भूत—भवानी”

सन्त मलूकदास की दृष्टि में मन्दिर—मस्जिद, काबा—काशी आदि का कोई मूल्य नहीं है। उनका अन्तर्यामी निर्विकार आराध्य घट—घट में निवास करता है, अतः उसकी खोज नहीं करनी चाहिए, उसे पाने का एक मात्र मार्ग है प्रेम।

“जो तेरे घट प्रेम है, तो कहिए न सुनाव,
अन्तर्यामी जानि है, अन्तरगत का भाव”।

वहीं दादू भी प्रेम का प्याला पीकर ‘मतवाले’ होने को व्यग्र हैं—

“कठिन पियाला प्रेम का,
पिये जो हरि के हाथ।
चारों युग भाता रहे,
उतरै जिय के साथ।”

इसके उपरांत चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा आबू अब्बास और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रेम और सद्भावना का संदेश दिया। इसी क्रम में हजरत अमीर खुसरो का जिक्र करना प्रासंगिक होगा। वे कोई भेद—भाव के बिना ‘हर’ में ‘हरि’ को देखते हैं—

“हर में हरि को देखा रे बाबा,
हर में हरि को देखा”।

साथ ही वे उस असीम सत्ता को अपने नायक के रूप में देखते हैं, जिसने उसे अपने रंग में रंग लिया है।

“बल—बल जाऊँ मैं तोरे रंग—रेजवा
अपनी सी रंग दीन्ही.....

संत कबीर कहते हैं कि चूँकि सभी मानव उस परम सत्ता द्वारा निर्मित हैं अतः जाति-जाति में क्या अन्तर है—

“जात-पात पूछें नहीं कोई,
हरि को भजै सो हरि का होई” ।

कबीर के अनुसार सारा जग ‘पोथी’ तो पढ़ता है किन्तु प्रेम का ‘ढाई अक्षर’ नहीं पढ़ पाता, यही भेद-भाव का मूल है

“पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ,
पंडित भया न कोय ।
ढाई आखर प्रेम का
पढ़ै सो पंडित होय” ।

सद्भावना का यह संदेश प्रचारित करते हुए सखी सम्प्रदाय की एक महान विभूति सन्त भगवत रसिक कहते हैं कि वह असीम सत्ता जिसे हिन्दू-मुस्लिम ईश्वर और अल्लाह कहते हैं, वह न तो द्वैत-अद्वैत है और न विशिष्टाद्वैत, बल्कि वह तो मत-वाद से बहुत दूर है।

“नहीं द्वैताद्वैत हरि
नहिं विशिष्टाद्वैत
बंधे नही मतवाद मे
ईश्वर इच्छा द्वैत” ।

महान सन्त गुरु नानक देव अल्लाह अर्थात् ब्रह्म की सभी कृतियों को श्रेष्ठ मानते हैं। कोई भी छोटा-बड़ा या ऊँचा-नीचा नहीं है, क्योंकि सभी प्राणी एक ही ‘नूर’ ने बनाये हैं—

“अव्वल अल्ला नूर उपाया
कुदरत दे सब बन्दे
एक नूर ते सब जग उपज्या
कौन भले कौन मन्दे” ।

सिख गुरु गोविन्द सिंह जी भी सभी को सद्भावना का संदेश देते हुये कहते हैं—

“देहुरा मसीत सोई
पूजा ओ नमाज ओई
मानस सभै एक पै
अनेक को प्रभाव है ।
अल्लाह अभेक सोई
पुरान ओ कुरान ओई
एक ही स्वरूप सभै
एक ही बनाव है” ।

सन्त काव्य आत्म-विश्वास, आशावाद और आस्था की भावना संस्थापित करने में सहायक साहित्य है। यह जीवन शक्ति का अजस्र स्रोत है इस का प्रभाव प्रयोजन है—

त्रस्त, संतप्त, उपेक्षित तथा उत्पीड़ित मानव को परिज्ञान प्रदान करना
इससे संदेह नहीं है कि संत कवि अपने समय के समाज के सच्चे प्रहरी थे

सन्त कवियों ने जीवनदायनी शक्तियों की ओर जन सामान्य का ध्यान आकर्षित किया और समाज को सशक्त, निर्दोष एवं कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर करने की चेष्टा की।

निष्कर्ष

भारत भूमि एक ऐसी भूमि रही है जहाँ तपसाधना करने वाले संत बड़ी संख्या में पैदा हुए और किसी न किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े। इन संतों ने अपने काव्य ग्रंथों में शिक्षा और सद्भावना को विशेष स्थान दिया। आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देखें चाहें कबीर की साखी, सबद, रमैनी हो या रहीम के दोहे या तुलसीदास जी का कोई काव्य सभी ने इस ओर इशारा किया है कि मानव जीवन एक दूसरे के प्रति सद्भावना के लिए है, इसमें लड़ाई-झगड़े का कोई स्थान नहीं है और यदि इन संतों के विचारों पर गौर करके हम उनकी सोच वाले समाज का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से एक प्रेममयी विचारधारा को स्थापित करेंगे।

संदर्भ :-

- हिन्दी साहित्य कोष भाग-1, संकलन डॉ० धीरेन्द्र वर्मा आदि, द्वितीय संस्करण, 1986, ज्ञान मंडल लि०, प्रयाग, पृष्ठ सं० 67, 344
- कबीर समग्र भाग-1, संकलन डॉ० युगेश्वर, हिन्दी प्रचारक संस्थान, वाराणसी 1994
- कबीर समग्र भाग-2
- "सन्त दादू दयाल", सम्पादक काशी नाथ उपाध्याय, राधास्वामी सत्संग व्यास, 1980 पृष्ठ सं० 11, 41, 62
- श्वेताश्वतरोपनिषद
- सन्त पलटू, पृष्ठ-225, राधास्वामी सत्संग व्यास
- हिन्दी साहित्य का इतिहास, सम्पादक डॉ० नगेन्द्र, पृष्ठ-160, नेशनल पब्लिसिंग, हाऊस, दिल्ली 1980
- Compretive Study of Education.
- News Papers Special Editorial for Education.
- Journal Elite Home.
- Principles of Education NCERT books.
- The Sociology of Education book.
- Education & Social Changes book.
- Environmental Education book.

रचनात्मक डिजाइन के प्रति आकर्षण—एक अध्ययन

Chhaya Gangwar

Assistant Professor, Pushp Institute of Sciences & Higher Studies, Pilibhit

Chhavi Gangwar

Research Scholar, Department of Clothing & Textiles

Faculty of family & community sciences

The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara

प्रस्तावना

डिजाइन वह है जो आँखों को पसन्द आने के साथ मन को भी प्रफुल्लित कर देता है और व्यक्ति उत्साह से भर जाता है। बच्चे, युवा, वृद्ध, महिला तथा पुरुष सब पर यह लागू होता है। यह एक ऐसी कला है जिसे कपड़ो, कागज, घर, कार्यालय, दुकान, मॉल, शो-रूम आदि पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके साथ-साथ ज्वैलरी, मोबाइल कवर, फोटो-फ्रेम आदि भी डिजाइन वाले आते हैं। डिजाइन की शुरुवात सादे कागजों पर चित्र बनाकर की जाती है। ये चित्र छायाचित्र भी हो सकते हैं और रंगों का प्रयोग करके भी बनाये जा सकते हैं। आज के समय में कोई भी शेष नहीं है, जो डिजाइन के प्रभाव में न आया हो। युवाओं में डिजाइन की विशेष माँग है तो बच्चे और बड़े भी सबसे पहले कपड़ो का मैचिंग करते हैं और इसीलिए आज डिजाइन का मार्केट तेजी से फल-फूल रहा है और देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण अंशदान कर रहा है। रचनात्मक डिजाइन तैयार करने के लिए पूर्ण व्यक्तिगत रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर डिजाइन व्यक्तिगत रुचि के अनुसार नहीं बनाया गया है तो उसकी रचना निरर्थक ही रहेगी। इस प्रकार किसी भी रचनात्मक डिजाइन में उपयुक्त सभी विशेषताओं का होना आवश्यक है। किसी प्रकार की रेखाओं, आकारों, रंगों तथा बनावट से रचनात्मक डिजाइन बनाते समय उपयुक्त सभी विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य डिजाइन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालकर उन्हें सामने लाना है।

शोध परिकल्पनाएँ

1. डिजाइन को समझकर और अपने लिए उसका उपयोगी होने पर ही ग्रहण करना चाहिए, केवल प्रभावित होकर ही उस पर अत्यधिक धन व्यय करना मूर्खता है, और आज कल यही जादा हो रहा है।
2. यदि डिजाइन में रुचि है और उसे अपनाना चाहते हैं तो उसका उचित मूल्य निर्धारित करने की योग्यता आपमें अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर जितनी कीमत लिखी है जरूरी नहीं कि वह उतनी कीमत का हो अन्यथा आप बाजार में ठगे भी जा सकते हैं।
3. रचनात्मक डिजाइन अलंकृत होने पर अधिक भव्य व आकर्षक हो जाता है। सजावट उसके रूप को निखार देती है। एक सामान्य से रचनात्मक डिजाइन को अगर सजावटी डिजाइन से अलंकृत कर सुसज्जित कर दिया जाये तो वह रचनात्मक डिजाइन अधिक व्यक्तियों को मानसिक संतोष व आनन्द प्रदान करता है।
4. रचनात्मक डिजाइन को उच्च स्तर प्रदान करने के लिए जिन रेखा, रंग या सजावट के अन्य उपकरणों को प्रयोग किया जाता है वे सब मिलकर डिजाइन को उच्च स्तर प्रदान करती है।

5. सजावट डिजाइन को अगर आवश्यकता से अधिक सजा दिया गया है तो मौलिकता नष्ट हो जायेगी तथा वह कोरी विलासिता की वस्तु बनकर रह जायेगी।
6. वे डिजाइन जो आकार, रूप, बनावट, तथा रंग के माध्यम से बनते हैं, चाहे वे खुले स्थान पर या कागज पर पेन्सिल के द्वारा विभिन्न रेखाओं के माध्यम से बनता है उसे रचनात्मक डिजाइन कहते हैं।

वर्तमान युग में अधिकांशतः व्यक्ति रचनात्मक डिजाइनों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(1) साधारण— साधारण डिजाइन की विशेषता यह है कि यह कम खर्चीले होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति इन्हें पसन्द करता है, रचनात्मक डिजाइन की सर्वप्रथम विशेषता सादगी है। यदि डिजाइन साधारण तथा सादा हो तो यह अधिक सुन्दर लगेगा। एक स्मोकिंग की गयी फ्रॉक देखने में काफी सुन्दर लगती है किन्तु अगर फ्रॉक के कॉलर पर कढ़ाई कर दी जाये तो उस फ्रॉक की स्वाभाविक सुन्दरता नष्ट हो जायेगी। इसी प्रकार लकड़ी का सादा फर्नीचर अधिक उपयोगी व आकर्षक रहता है। अगर उस पर कटाव होगा तो उसमें शीघ्र ही घुन और दीमक लग जायेगी तथा वह टिकाऊ भी कम रहेगा।

(2) उद्देश्य— किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए तथा यह डिजाइन उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होनी चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के बनायी गयी वस्तु किसी काम की नहीं होती और उस पर खर्च किया हुआ पैसा व्यर्थ चला जाता है और बाद में पछतावा होता है।

(3) समानुपात— रचनात्मक डिजाइन की तीसरी विशेषता यह होती है कि उसका ढाँचा अनुपात में समान होता है। यह वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसका निचला भाग भारी हो ताकि घर के फर्स पर आसानी से रखी जाये और उपयोग करने वाले को कोई परेशानी न हो। इसमें मेज, कुर्सी, सोफा सेट आदि हो सकते हैं।

(4) सामग्री के अनुरूप— रचनात्मक डिजाइन सामग्री के अनुसार होता है, इसमें सामग्री देखी जा सकती है कि किस लकड़ी से फर्नीचर बनाया गया है तथा उस पर किस प्रकार की गद्दीयाँ, कवर आदि लगे हुए हैं तथा वह कितना आरामदायक है। यह सब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

(5) उपयोगिता— वस्तु का रचनात्मक डिजाइन तैयार करने से पूर्व उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखना आवश्यक है। एक ही कक्ष में कई प्रकार की मेजें सजाई जा सकती हैं लेकिन उपयोगिता के अभाव में यह सब व्यर्थ ही रहेंगी, अतः डिजाइन अनुपयोगी नहीं होना चाहिए तथा वह रचनात्मक डिजाइन कहला सकेगा।

(6) सुन्दरता— रचनात्मक डिजाइन में सुन्दरता के दृष्टिकोण का भी समावेश करना चाहिए। अगर डिजाइन सुन्दर होगा तो सब उसकी ओर आकृष्ट होंगे। अव्यवस्थित और बेढंगे डिजाइन की ओर किसी का ध्यान नहीं जायेगा। लम्बा फूलदान आकार में बेढंगा होता है और अगर उस पर आवश्यकता से अधिक सजावट है तो वह अपनी सुन्दरता खो देता है। इसके विपरीत छोटा फूलदान अधिक सुन्दर दिखता है क्योंकि उसमें सुन्दरता और आकर्षण होता है।

सजावटी डिजाइन

सजावटी डिजाइन भी रचनात्मक डिजाइन की तरह काफी महत्वपूर्ण है। सजावट रचनात्मक डिजाइन को और भी सुन्दर बना देती है और सुन्दर वस्तु सदा प्रसन्नता देती है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि सुन्दर वस्तु सदा ही सबका मन हरती है। जिस प्रकार

चन्द्रवदनी रमणी विभिन्न प्रकार के आभूषणों से अलंकृत होने पर दीपशिखा के समान सुशोभित होने लगती है।

सजावटी डिजाइन की विशेषताएँ

रचनात्मक डिजाइन की तरह सजावटी डिजाइन की भी कुछ विशेषताएँ हैं। सजावटी नमूने की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(1) सजावट और ढाँचा एक दूसरे के पूरक हों— किसी भी वस्तु का ढाँचा और उसकी सजावट ऐसे हों कि वे दोनों एक—दूसरे के पूरक हों अतः किसी भी वस्तु के आकार तथा रचना के अनुकूल उसकी सजावट होगी तभी वह वस्तु सुन्दर एवं आकर्षक प्रतीत होगी अन्यथा नहीं। फूलदान की अपेक्षा अगर मेज पर ही रंगों से भिन्न भिन्न प्रकार के फूल—पत्ती बना दिये जायें तो मेज की सुन्दरता क्षीण पड़ जायेगी। इसी प्रकार अगर फूलदान को केन्द्रीय स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर रख दिया जाये तो भी उसकी सुन्दरता समाप्त हो जायेगी। लम्बी धारियों वाले कपड़े का पर्दा लम्बी खिड़कियों में आकर्षक नहीं लगेगा।

(2) सजावट क्रमानुसार हो— सजावट क्रमानुसार होनी चाहिए या तो इसे ऊपर से शुरू किया जाये या नीचे से। मध्य में से सजावट कभी शुरू नहीं करनी चाहिए। सजावट की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक सजावट डिजाइन की सुन्दरता एवं आकर्षण को समाप्त कर देती है। प्रकृति में भी सजावट की सीमा है। प्रत्येक वस्तु पर एक नियन्त्रण आवश्यक है और यही नियम सजावट पर भी लागू होता है। घर में कमरों की भी आवश्यकता से अधिक सजावट कमरों की सहज स्वाभाविक सुन्दरता के लिए अभिशाप है। इसी प्रकार वस्त्रों पर आवश्यकता से अधिक कढ़ाई वस्त्रों की सुन्दरता को नष्ट कर देती है।

(3) सजावट रचनात्मक डिजाइन पर निर्भर करती है— अगर वस्तु की पृष्ठभूमि सामान्य होगी तो सजावटी डिजाइन की शोभा दोगुनी हो जायेगी। अगर हल्के रंग के कपड़े पर गहरे रंग से छपाई, कढ़ाई तथा पेन्टिंग की जाये तो वह अधिक सुन्दर लगेगा।

(4) सजावट में पुनरावृत्ति— पूर्व में सजायी गयी वस्तु को और अधिक नहीं सजाना चाहिए। इस प्रकार सजावट में पुनरावृत्ति होने से वस्तु अपनी सुन्दरता को खो देती है। यदि किसी बहुचित्रित फूलदान को फूलों से सजाया जाये तो वह सादे फूलदान की अपेक्षा कम सुन्दर लगेगा।

(5) सजावट में अनुकूलता— सजावट करते समय अनुकूलता पर ध्यान देना अति आवश्यक है। हम जिस कार्य के लिए सजावट कर रहे हैं वो सजावट वातावरण को हल्का—फुल्का बनाये रखे ताकि वहाँ आने वाले लोग खुश रह सकें। सजावट करते समय इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि वस्तु की स्थिति व प्रकार कैसा है। वस्तु किस पदार्थ (उत्तम, मध्यम या निम्न) की बनी है। वस्तु की बनावट के अनुरूप ही उसको स्थिति दी जानी चाहिए। जिस तरह कपड़े टॉगने वाली खूंटियाँ अध्ययन कक्ष या सत्कार कक्ष में तो व्यर्थ ही लगेंगी किन्तु यदि उन्हें स्नान गृह में या ड्रेसिंग रूम में लगा दिया जाये तो उसकी उपयोगिता तो बढ़ेगी ही वह अच्छी भी लगेंगी। इसी तरह रेडियोग्राम या सोफासेट रसोईघर में सुशोभित कदापि नहीं हो सकते, उनके लिए उचित और उपयोगी स्थान बैठक ही है। ये वस्तुएँ बैठक की शोभा को दुगना कर सकते हैं।

(6) सजावट डिजाइन का स्थानान्तरण— डिजाइन में इतनी लोच होनी चाहिए कि हम उसे आवश्यकतानुसार घटा—बढ़ा या अन्य जगह स्थानान्तरित कर सकें। किसी वस्तु को सजावटी क्रम में सदैव सरस और आकर्षणमय बनाने के लिए यह आवश्यक है

कि सजावटी डिजाइन की अदला-बदली होती रहे। प्राकृतिक उपादानों को भी अगर सही रूप देने के साथ साथ उनमें कभी कभी स्थानान्तरण किया जाये तो डिजाइन को अधिक आकर्षण बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष—

डिजाइन जिस प्रकार आज लोगों के मन-मस्तिष्क पर हावी है, उससे व्यक्ति अनावश्यक धन भी कभी-कभी व्यय करता रहता है। लोग शौक के चक्कर में पड़कर अपनी आवश्यक-आवश्यकताओं पर व्यय होने वाले धन को डिजाइन पर खर्च कर डालते हैं, किन्तु इससे बचने की आवश्यकता है। माना कि डिजाइन जीवन में उत्साह का संचार करती है, परन्तु इस पर भी तब व्यय करें जब आवश्यकता हो अन्यथा वह पैसा परिवार की अन्य आवश्यकताओं पर खर्च किया जा सकता है, किन्तु वर्तमान समय डिजाइन का है और लोग मुक्त हाथ से इस पर खर्च कर रहे हैं।

Reference :-

- “Consumption.” In *Designing Household Survey Questionnaires for Developing Countries: Lessons from 15 Years of the Living Standards Measurement Study*, ed. M. Grosh and P. Glewwe. Washington, DC: World Bank. Deaton, A., and J. Muellbauer. 1986. “On Measuring Child Costs: With Applications to Poor Countries.”
- *Demography* 38(1): 115–133. Grosh, M., and J. Baker. 1995.
- “Proxy Means Tests for Targeting Social Programs: Simulations and Speculation.” LSMS Working Paper No. 118. World Bank, Washington DC.
- Houweling, T. A., A. E. Kunst, and J. P. Mackenbach. 2003. “Measuring Health Inequality among Children in Developing Countries: Does the Choice of the Indicator of Economic Status Matter?” *Int J Equity Health* 2(1): 8.
- *Journal of Political Economy* 4: 720–44. Deaton, A., and C. H. Paxson. 1998. “Economies of Scale, Household Size, and the Demand For Food.” *Journal of Political Economy* 106: 897–930. Deaton, A., and S. Zaidi. 2002. “Guidelines for Constructing Consumption Aggregates.”
- LSMS Working Paper No. 135. World Bank, Washington, DC. Filmer, D., and L. Pritchett. 1999. “The Effect of Household Wealth on Educational Attainment: Evidence from 35 Countries.”
- *Population and Development Review* 25(1): 85–120. Filmer, D., and L. Pritchett. 2001.
- *Measuring Poverty: A New Approach*. Washington, DC: National Academy Press. Coady, D., M. Grosh, and J. Hoddinott. 2004.
- *Targeting of Transfers in Developing Countries: Review of Lessons and Experience: Regional and Sectoral Studies*. Washington, DC: World Bank. Deaton, A. 1997.
- *The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy*. Baltimore, MD: Published for the World Bank [by] Johns Hopkins University Press. Deaton, A., and M. Grosh. 2000.
- “Estimating Wealth Effects without Expenditure Data—or Tears: An Application to Educational Enrollments in States of India.”
- Bartholomew, D., F. Steele, I. Moustkaki, and J. Galbraith. 2002.
- *The Analysis and Interpretation of Multivariate Data for Social Scientists*. London, England: Chapman and Hall. Bollen, K. A., J. L. Glanville, and G. Stecklov. 2001. “Socioeconomic Status and Class in Studies of Fertility and Health in Developing Countries.”
- *Annual Review of Sociology* 27: 153–85. Case, A., C. Paxson, and J. Ableidinger. 2004. “Orphans in Africa: Parental Death, Poverty, and School Enrollment.”
- *Demography* 41(3): 483–508. Cirto, C., and R. Michael. 1995.